अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 2 | अभिव्यक्ति 4 | छत्तीसगढ़ 6 | आंचलिक 7 | छत्तीसगढ़

RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, शनिवार 6 अगस्त 2022, शुक्ल पक्ष नवमी, विक्रम संवत-2078 वर्ष-11 अंक-161 पृष्ठ-08 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित www.navpradesh.com

महंगाई, बेरोजगारी और ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस सड़क पर

//-- सुविचार --//

कमजोर व्यक्ति तब रूक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रूकता है जब वो विजय हो जाता है।

आज बेबाक

भारत की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सियासत समझ से परे है। स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक बनाने के लिए यदि घर-घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है तो इस पर आपत्ति उठाना, इस आयोजन पर सवालिया निशान लगाना और बेतूका बयान देना घृणत मानसिकता को ही दर्शाता है। जिन्हे अपने देश से प्यार है और तिरंगे पर गर्व है वे अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। जो न फहराना चाहे मत फहराए। कोई जबरदस्ती तो नहीं है लेकिन इस आयोजन की गरीमा को ठेंस पहुंचाने की कुतसित कोशिश न हो।

आपराधिक मामलों में सांसदों के विशेषाधिकार नहीं: नायडू

नयी दिल्ली (वार्ता)। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि आपराधिक मामलों में सांसदों के विशेषाधिकार नहीं होते हैं। श्री नायडू ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उक्त व्यवस्था देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से सांसदों के बीच सांसदों की विशेषाधिकार को लेकर असमंजस बना हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा बन रही है कि जांच एजेंसी संसद के सत्र के दौरान सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है।

नई दिल्ली (ए.)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को यानी आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं, उनका पार्टी आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही है। इस दौरान राहुल-प्रियंका सहित कई सांसद काले रंग के कपड़े में नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने कल ही केंद्र सरकार के खिलाफ तेवर दिखाते हुए कहा था कि मैं किसे से नहीं डरता हूं, जो करना है कर लें।

सरकार पर प्रियंका का वार

कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है। हिरासत में ली गई पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि वह समझौता करने नहीं बैठी हैं।

चर्चा से बचने का आरोप

कांग्रेस नेता सचिन पायटल ने कहा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, सैकड़ों बार हमारे सांसदों को हिरासत में लिया जा रहा है, अपनी बात रखने से रोका जा रहा है ये अलोकतांत्रिक है। सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है।

चंडीगढ़ में पुलिस से भिड़े कांग्रेस नेता, करनी पड़ी पानी की बौछार

भारत के कई राज्य में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। खबर है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस आपस में भिड़ गए। इस दौरान पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा।

प्रियंका ने विरोध का नेतृत्व किया, पुलिस ने हिरासत में लिया

कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में मंहगाई और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बढ़ोतरी को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफजमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने बाद में हिरासत में ले लिया। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। संसद भवन में एक मार्च भी निकाला गया जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सुबह से ही पार्टी कार्यालय में जमा हो गए और महंगाई, जीएसटी को लेकर सरकार के खिलाफजमकर नारेबाजी की। श्रीमती वाड्रा ने पार्टी नेता हरीश रावत और अन्य लोगों के साथ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर लोगों में बड़ी निराशा को लेकर एक गाड़ी में गैस सिलेंडर रखकर उसे धक्का देकर कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकाला।

महंगाई को लेकर सीएम भूपेश का केंद्र पर तंज, कहा -

ऐसा सिस्टम बनाया कि जेब का पैसा केंद्र सरकार के पास जा रहा

■ राजभवन का किया घेराव, राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रायपुर/नवप्रदेश। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने शुक्रवार को पूरे देश में विरोध जताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन करते हुए राजभवन का घेराव का किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों, रिकार्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के ■ शेष पृष्ठ 6 पर

अग्निपथ योजना पर कसा तंज

सीएम भूपेश बघेल ने अग्निपथ स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिल रही है। केंद्र की अग्निपथ स्कीम से युवा 4 साल मे सेना से रिटायर हो जायेंगे। इस योजना से युवाओ की 17 साल की उम्र में भर्ती होगी ,तो 21 साल में रिटायर हो जाने से, 22 साल की उम्र में भूतपूर्व सैनिक का टैग लग जाएगा। सीएम भूपेश ने कहा कि भूतपूर्व लोग नाती पोते की शादी करवाते हैं। मोदी ने व्यवस्था ऐसी कर दी है कि भूतपूर्व होने के बाद युवाओं की शादी होगी और शादी के कार्ड में दूल्हे के नाम के साथ भूतपूर्व सैनिक लिखा होगा।

कांग्रेस के प्रदर्शन पर अमित शाह का हमला

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है. साफकहा गया है कि पार्टी ने ये विरोध प्रदर्शन महंगाई या फिर बेरोजगारी के खिलाफनहीं किया है, बल्कि आज ही दिन क्योंकि राम जन्म भूमि का शिलान्यास हुआ था, ऐसे में इसके विरोध में पार्टी ने काले कपड़े पहन ये प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिडन तरीके से अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई है. कोई ईडी ने समन नहीं किया.. फिर भी विरोध का कार्यक्रम रखा गया।

मुझे मजा आता है... ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी; बीजेपी को बताया हिटलर

नई दिल्ली (ए.)। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देशव्यापी आंदोलन से पहले पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हिटलर करार दिया। साथ ही उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई पर भी अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को विपक्ष की आवाज से डर लगता है। सरकार देश से लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है। राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, ''मेरे पर जब भी आक्रमण होता है तो मुझे आनंद आता है।

दिल्ली पुलिस ने बताया- राहुल गांधी को क्यों हिरासत में लिया?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर दिल्ली पुलिस की डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने कहा, ''हमने उनको हिरासत में लिया है क्योंकि यहां धारा 144 लागू है और धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। हमने उनको सूचित भी किया था लेकिन वे नहीं माने इसलिए हमने उनको हिरासत में लिया है।''

आईटी के बाद अब छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड

रायपुर-नांदगांव में ज्वेलर्स, दुर्ग में सीए के ठिकाने पर दबिश

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के छापे के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह से ही ईडी के अफसरों ने राजधानी रायपुर में कुछ ज्वेलर्स और कपड़ा व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा है। इसके साथ ही राजनांदगांव में भी ज्वेलर्स और दुर्ग में एक सीए के बंगले में दबिश दी है। दिल्ली से पहुंचे ईडी के अफसरों ने तीनों जिलों में अलग-अलग टीम बनाकर दबिश दी। जानकारी के अनुसार रायपुर में ईडी टीम ने पगारिया ज्वेलर्स के यहां छापा मारा है। इसके अलावा राजधानी में कुछ अन्य जगहों पर भी टीम के रेड करने की खबर है। वहीं दुर्ग में भी टीम ने नवकार ज्वेलर्स, सीए कोठारी ब्रदर्स के यहां छापा मारा है। इसके अलावा राजनांदगांव के जसराज बैद ज्वेलर्स, नाकोड़ा टेक्सटाइल में भी छापे की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से देर शाम तक कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महज 3 दिन पूर्व ही आयकर विभाग की टीमों ने दबिश दी थी। तब कार्रवाई की जद में स्टील और बिजली उद्योग से जुड़े व्यापारिक समूह थे। आयकर विभाग की टीमों ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में 10 से अधिक ठिकानों और कार्यालयों पर जांच की थी।

कांवड़ लेकर निकले मुख्यमंत्री भूपेश, हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना

- **बोले - सावन तप और त्याग का त्योहार, प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि की कामना**

रायपुर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। शिव भक्ति में मस्त भूपेश बघेल सड़क पर बोल बम का नारा लगाते हुए कंधे पर कांवड़ लेकर चले। दरअसल, राजधानी रायपुर गुढ़ियारी स्थित मारूति मंगलम परिसर में आयोजित भव्य कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यात्रा के शुभारंभ में मंत्रोच्चार और विधि-विधान से कांवड़ पूजा की और कांवड़ यात्रा की अगुवाई कर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने इसके पूर्व मच्छी तालाब हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की मंगल कामना की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सावन का यह त्योहार तप, त्याग का त्योहार है, जिसमें कांवड़ यात्रा के रूप में श्रद्धालुओं को भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अवसर मिलता है, यह हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी उपस्थित थे। कांवड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष भक्तजन भजन की धुन पर थिरकते हुए श्रद्धालु कांवड़ लेकर शामिल हुए। कांवड़ यात्रा का आयोजन रायपुरा महादेव घाट हटकेश्वर मंदिर तक किया गया।

मां का दूध नवजात बच्चे के लिए होता है अमृत

दुर्ग/नवप्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह के अवसर पर आज चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के स्किल लैब में कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में शिशुरोग विभाग के विभागध्यक्ष डॉ. ओमेश खुराना ने इस विशेष स्भा में स्तनपान की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। मां का दूध नवजात बच्चे के लिए अमृत होता है, जो न सिर्फ अपने आप में सम्पूर्ण आहार है बल्कि ढेरो खूबियों से भरपूर होता है। आधुनिक शोधों से ये सिद्ध हुआ है कि इससे बच्चे को कोविड एवं अन्य कई बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है और स्तनपान के दौरान सामान्यता कोविड मां से शिशु संक्रमित नहीं करता। प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. जयंती चंद्राकर ने बताया कि स्तनपान मां व शिशु के बीच एक स्नेह का ऐसा बंधन भी कायम करता है जो शिशु के व्यस्क हो जाने के बाद भी बना रहता है। वहीं स्तनपान करवाने वाली माताओं में स्तन का कैंसर की सम्भावना बहुत कम होती है साथ ही यह प्रसव के बाद होने वाले जानलेवा रक्तस्राव और खून की कमी नहीं होती और महिला जल्द ही होने वाले नये गर्भभारण से भी बचाव करती है।

भाजपा ने एक लाख घरों में तिरंगा फहराने का लिया संकल्प

रायपुर/नवप्रदेश। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी के एक लाख घरों में तिरंगा झंडा फहराने का संकल्प लिया। भाजपा जिला कार्यालय परिसर में आयोजित रायपुर जिला की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों से संपर्क कर देश के सम्मान के प्रतीक तिरंगा ध्वज को अपने घरों में फहराने के लिए संपर्क कर रही है और समाज के सभी वर्गों से इस अभियान के लिए उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी मानसिक पिछड़ेपन के दौर से गुजर रही है। वह यह नहीं समझ पा रही है कि राज्यपाल एक सवैधानिक प्रमुख होता है जिसे ज्ञापन दिया जाता है उसका घेराव नहीं किया जाता। वास्तव में कांग्रेसी समस्या का समाधान नहीं चाहती है उसका राजनीतिकरण चाहती है। पूर्व मंत्री व भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा भाजपा एक राजनीतिक ही नही सांस्कृतिक विचारों वाली पार्टी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने आव्हान किया है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव प्रत्येक मोहल्ले में मनाना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि भाजपा कार्यकर्ता प्रति वर्ष की भांति 14 अगस्त को भारतमाता चौक में माँ भारती की महाआरती करेंगे।

यूको बैंक ने तिमाही में 123.61 करोड़ का लाभ अर्जित किया

रायपुर/नवप्रदेश। युको बैंक ने आज 30 जून को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की जिसकी जानकारी बैंक के एमडी एवं सीईओ सोमा शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। कोलकाता में वर्चुअल रूप से आयोजित इस प्रेस वार्ता में देश के विभिन्न भागों से मीडियाकर्मी जुड़े। प्रेस वार्ता में एमडी एवं सीईओ सोमा शंकर प्रसाद ने विभिन्न मीडियाकर्मियों के सवालों के जबाब भी दिए। 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए आज घोषित वित्तीय परिणामों की बैंक ने जून को समाप्त तिमाही के दौरान 123.61 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। जबकि जून 2021 में 101.81 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था। इस प्रकार शुद्ध लाभ में 21.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जून 2022 तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय बढ़कर 1649.54 करोड़ हो गई जो जून 2021 को समाप्त तिमाही में 1460.24 करोड़ थी। इस प्रकार शुद्ध ब्याज आय में 12.96 प्रश की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक का शुद्ध एनपीए 30 जून को घटकर 3103.82 करोड़ रह गया जो जून को 4387.25 करोड़ एवं 31 मार्च को 3315.78 करोड़ था।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट मीट का आयोजन

रायपुर/नवप्रदेश। यूनियन बैंक ऑफइंडिया क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के तत्वाधान में बैंक की मिड कॉर्पोरेट शाखा में यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की रायपुर क्षेत्र प्रमुख कविता श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक्सपोर्ट मीट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बैंक के वर्तमान एवं नए ग्राहकों के साथ निर्यात ऋण पर चर्चा की गयी। इस दौरान निर्यात क्रेडिट, गोल्ड कार्ड, पैकिंग क्रेडिट, बिल डिस्काउंटिंग आदि ऋण सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई एवं ऋण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। यह सभी ऋण उत्पाद बहुत ही आकर्षक ब्याज दरों पर उपलब्ध हैं। क्षेत्र प्रमुख कविता श्रीवास्तव द्वारा यह जानकारी दी गई कि वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ़इंडिया द्वारा गोल्ड लोन, खुदरा ऋण, एमएसएमई ऋण सम्बन्धी कई उत्पाद काफी कम ब्याज दरों पर ग्राहकों की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस मौके पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रायपुर क्षेत्र प्रमुख कविता श्रीवास्तव, मिड कार्पोरेट के सहायक महाप्रबंधक प्रमोद पराते, ऋण विभाग के प्रमुख शशांक शेखर शुक्ला, वरिष्ठ प्रबंधक मृत्युंजय पाठक एवं सम्मानीय ग्राहकजन उपस्थित रहे।

रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने बैठक में लिए गए निर्णय

ब्लैक और ग्रे स्पाट के नजदीक रहेंगी 108 एंबुलेंस

■ **स्कूल प्रबंधन को दो पालियों के बीच आधा घंटा गैप रखे जाने के दिये जाएंगे निर्देश, रंबल स्ट्रिप भी बनेंगे स्कूलों के सामने**

दुर्ग। जिले में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिन जगहों को ब्लैक और ग्रे स्पाट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। 108 एंबुलेंस का डिप्लायमेंट भी इनके नजदीक ही किया जाएगा ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में रिस्पांस टाइम और बेहतर हो सके। यह निर्देश सड़क सुरक्षा समिति में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा तथा एसपी डा. अभिषेक पल्लव ने अधिकारियों को दिये। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर अहम निर्णय लिये गये। बैठक में एडीशनल एसपी ट्रैफिक विश्वास चंद्राकर एवं डीएसपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, आरटीओ अनुभव शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मेन रोड के किनारे के कुछ स्कूलों में गेट एक ही है और इनमें दोनों पालियों के बीच बमुश्किल पंद्रह मिनट का

अंतर होता है। इससे गेट के पास काफी रश होता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन को दो पालियों के बीच आधे घंटे का अंतर रखने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्कूल में अधिक दर्ज संख्या होने पर एंट्री और एक्जिट के लिए अलग अलग गेट रखने निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। स्कूल के समीप निर्देशक बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि वाहन चालक गति धीमी कर लें। स्कूलों के पास सड़क में रंबल स्ट्रिप भी बनाये जाएंगे ताकि स्पीड पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर होगी। 112 की टीम के अधिकारी इसके लिए कलेक्ट्रेट में बनाये गये कंट्रोल रूम से स्थिति पर नजर रखेंगे और जरूरत होने पर त्वरित रिस्पांस कर सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम और एसडीओपी दुर्घटना के पश्चात अविलंब दुर्घटनास्थल पर पहुंचेंगे और हादसे के कारणों की पड़ताल करेंगे। यदि किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से हादसा हुआ है तो इसे ठीक करने साथ में मौजूद निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा।

घर-घर झंडा उपलब्ध कराने महिलाओ ने लगाया स्टॉल

■ **रिसाली महापौर और आयुक्त ने पहले ग्राहक बनकर खरीदा झंडा**

रिसाली। नवगठित नगर पालिक निगम क्षेत्र में घर-घर झंडा उपलब्ध कराने महिला संगठनों ने स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। शिवाजी चैक रिसाली स्थित स्टॉल का महापौर शशि सिन्हा ने न केवल स्टॉल का उद्घाटन किया बल्कि प्रथम नागरिक की हैसियत से घर पर ध्वज फ्हराने महिला समूह से तिरंगा खरीदा। इस दौरान आयुक्त आशीष देवांगन भी ग्राहक बने। रिसाली निगम क्षेत्र की राष्ट्रीय क्षेत्रीय एरिया लेबल फेडरेशन की महिलाओं ने 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए झंडा उपलब्ध कराने स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है। निगम क्षेत्र का पहला स्टॉल का उद्घाटन महापौर शशि सिन्हा ने झंडा खरीदकर किया।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र-/अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ललित कुमार गुप्ता आ. स्व. चन्द्र प्रकाश गुप्ता निवासी वार्ड 15 सिकोला बस्ती तह. व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि आवेदक के पिता चन्द्र प्रकाश गुप्ता आ. रामचंद्र गुप्ता के नाम पर मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.नं. 71/34 रकबा 490 वर्गफीट भूमि को दानपत्र के आधार पर दानकर्ता चन्द्र प्रकाश का नाम विलोपित कर दानप्राप्तकर्तागण ललित कुमार एवं अजय गुप्ता के नाम पर दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है आवेदन में बी-1 नक्शा खसरा की छायाप्रति संलग्न है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 17/8/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01/08/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांक: सीजी 5124924062022018

रिसाली प.ह.न. 00022 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00022 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के भूमिस्वामी एस.केशव राव पिता/पति एस.सिमाद्री पता एम.आई.जी. 1/1689 विश्व बैंक कालोनी कुरूद भिलाई नगर तह व जिला दुर्ग, एस. लोकेश्वरी पिता/पति एस.सिमाद्री पता एम.आई.जी. 1/1689 विश्व बैंक कालोनी कुरूद भिलाई नगर तह व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 107/3 (0.0156) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 18/7/22 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 28/06/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्रीमती गीता यादव	202208100400011

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती गीता यादव पति लक्ष्मण यादव निवासी पांच रास्ता सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम जेवरा प.ह.न. 13 तह. व जिला दुर्ग	177/25 177/3	0.020 हें 2400 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 2/8/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांक: सीजी 5124911072022013

कसारीडीह प.ह.न. 00056 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00056 के अंतर्गत ग्राम कसारीडीह के भूमिस्वामी ईसोस राव पिता/पति नारायण राव पता वार्ड नं. 42 सुभाष नगर कसारीडीह दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 767/20 (0.0046) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 29/7/22 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14/7/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202208100400020

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका पूनम कौर पति दिलबाग सिंह निवासी तितुरडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बघेरा प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 93/90, 94/32 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 02/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक शिवकुमार देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन निवासी चंदखुरी तह. व जिला दुर्ग मौजा चन्दखुरी प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में ख.नं. 1666 रकबा 0.14 हे. दर्ज हो गया है जो कि त्रुटि की श्रेणी में आता है। सन् 1982-83 से सन् 1989-90 तक की राजस्व अभिलेख में आवेदक की दादी का नाम कंचन बाई बेदा लगू के नाम से बंदोबस्त के पूर्व ख.नं. 411/33 में 1.00 हे. दर्ज है जो सही एवं सत्य है। आवेदक की दादी के नाम पर पंजीकृत बैनामा में ख.नं. 411/22 का टु. रकबा 0.50 डिस का बैनामा दिनांक 14/04/1967 का पंजीकृत बैनामा है। बंदोबस्त के पश्चात 1666 रकबा 0.14 हे. दर्ज हो गया है जिस पर आवेदक काबिज नहीं है। तथा सत्तर सी पिता भंगू देवांगन काबिज है। त्रुटिवश के राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जिसे सुधार किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 24/8/22 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05/08/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202208100400060

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक नरेन्द्र कुमार त्रिलाशी आ. त्रिभुवन आ. त्रिभुवन लाल निवासी सिकोला भाठा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 13/8 रकबा 0.014 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202208100400059

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक किशोर कुमार बोरकर आ. नंदलाल बोरकर निवासी सिविक सेंटर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 11/36 रकबा 0.019 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 04/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र- 202208100700037//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तिलक दास साहू पिता स्व. कुंजन लाल साहू निवासी ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 431/1, 431/3 का टु. 442/1 का टु. रकबा 0.797, 0.010 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार क्रेता प्रीत कुमार की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24/8/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 3/8/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र- 202208100700036//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमऊ साहू पिता स्व. बिसौहा साहू निवासी ग्राम बघेरा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बघेरा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 314 रकबा 0.0560 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार बिसौहा एवं उदेराम की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18/8/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 2/8/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्री विकास कुमार ताथोड़	202208100400013

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री विकस कुमार ताथोड़ राजेश कुमार ताथोड़ निवासी पुरानी पुलिस लाई दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	222/60	0.012 हें 1248 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 2/8/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारूप)

रा.प्र.क्र.//अ-27/वर्ष 2020-21

क्योंकि मौजा थनौद तह. व जिला दुर्ग के सह भूमि स्वामी नंदू सोनी आ.गुलाबचंद सोनी साकिन सदर बाजार दुर्ग तह. व जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूचि में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्यों कि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है एवं सुनवाई का दिनांक 24/8/22 स्थान तह. कार्यालय दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हों एवं अपने आक्षेपों यदि कोई हो तो पेश करें। उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में आक्षेपों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(खाते का विवरण): (खाते का विवरण): खसरा नं. 55/6, 55/12 रकबा 0.03, 0.01 हे. कुल 0.04 हे.।

आज दिनांक 1/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारूप)

रा.प्र.क्र- 202208100700035//अ-27/वर्ष 2021-22

क्योंकि मौजा बघेरा तह. व जिला दुर्ग के सह भूमि स्वामी पुत्र सीता राम आ. उदला साकिन बघेरा तह. व जिला दुर्ग ने निम्नांकित अनुसूचि में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्यों कि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है एवं सुनवाई का दिनांक 18/8/22 स्थान तह. कार्यालय दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हों एवं अपने आक्षेपों यदि कोई हो तो पेश करें। उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नहीं कर पाने की स्थिति में आक्षेपों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(खाते का विवरण): (खाते का विवरण):

सर्वेक्षण संख्यांक/भू-खडांक 42/2, 42/3, 90/1, 178/2

क्षेत्रफल- 0.3840, 0.2020, 0.6070, 0.4050 हे.

भू-राजस्व 5.87/-

आज दिनांक 2/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

आम सूचना

मैं श्रीमती गीता देवी पति भीम मेहरा उम्र- 56 वर्ष निवासी प्रेम नगर सिकोलाभाठा दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं। मेरी जन्मतिथि 02/06/1966 का है, मेरे पालक/पिता द्वारा मेरा नाम दूखनी देवी दर्ज कराया था जिसके आधार पर मेरा नाम सभी शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है मैने अपने नाम वर्तमान में श्रीमती गीता देवी पति भीम मेहरा शपथ पत्र के अधार पर करा ली हूं तथा वर्तमान में आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक एवं अन्य दस्तावेजों में वर्तमान में मेरा नाम श्रीमती गीता देवी मेहरा दर्ज है तथा मुझे गीता देवी के नाम से जाना जा रहा है। मेरी पूर्व का नाम दूखनी देवी का विलुप्त कर सभी शैक्षणिक संस्था दस्तावेज, बैंक पासबुक तथा अन्य सभी दस्तावेज जहां आवश्यकता होगा वर्तमान में मेरी नाम श्रीमती गीता देवी पति भीम मेहरा के नाम से जाना जावेगा जिसके संबंध में राजपत्र में मेरी सुधार करने बाबत गजट राज पत्र में प्रकाशन कर सुधार हेतु यह शपथ पत्र निष्पादन किया गया है। अतः आज दिनांक 05/08/2022 से मेरी सही नाम श्रीमती गीता देवी पति भी भीम मेहरा के नाम से जाना जावे।

शपथकर्ती, गीता देवी

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र-48//अ-20(3)/ वर्ष 2021 -22

आवेदक आशीष साहू आ. स्व. अयोध्या प्रसाद साहू निवासी आदमी नगर हुडको भिलाई द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि आमदी नगर हुडको भिलाई में स्थित खसरा नं. 1/2, 2/2 का टुकड़ा प्लाट नं. एमआईजी 1/573 धारकगण अयोध्या प्रसाद साहू, आ. स्व. लक्ष्मण दास साहू, श्रीमती जयंती साहू पति अयोध्या प्रसाद साहू, आशीष कुमार साहू आ. अयोध्या प्रसाद साहू के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। सहधारक अयोध्या प्रसाद साहू की मृत्यु दिनांक 27/12/2021 को हो चुकी है। तथा उनके विधिक वारिसान उनकी पत्नि जयंती साहू पुत्र आशीष, पुत्री रोशनी पूनम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नहीं है। आवेदक द्वारा मृतक सहधारक का नाम विलोपित कर उनके वारिसानों के नाम दर्ज किए जाने तथा शेष सहधारकों का नाम यथावत रखे जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव् एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को आपत्तिया दावा हो प्रकरण की सुनवाई 24/8/22 या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या जिस भूखण्ड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावें। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18/7/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नजूल अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक राहुल चन्द्रिकापुरे आ. स्व. दिलिप चन्द्रिकापुरे साकिन हाउसिंग बोर्ड कालोनी कुरूद भिलाई द्वारा ग्राम कुटेलाभाठा प.ह.नं. 11 रा. नि. मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 176/3 रकबा 2200 वर्गफीट को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता श्रीमती सुनैना यादव से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के अधार पर नामांतरण किए जाने पर जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/8/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 4/8/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अति. तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202207100400335

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका कौशिल्या बाई पति पंचूराम यादव निवासी सिकोला भाठा श्याम नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 847/10 रकबा 0.0100 हें/ 1200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22/7/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र- 202207101200081/अ-06/ वर्ष 2021-22

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती देवंतिन बाई पति श्री शिवराम, जाति मरार, निवासी ग्राम माहुदा तह. व जिला दुर्ग द्वारा आवेदिका देवंतिन बाई पति शिवराम व बहन खेतिहारिन पति छगन तुलसा पति श्रीराम के नाम से शामिलात खाता में खास ग्राम निकुम प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित जमीन ख.नं. 1531/2, 1531/4 कुल ख.नं. 2 रकबा 0.260, 1.200 हे. कुल रकबा 1.460 हे. लगान 3.20 रू. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त संपित्त पर आवेदिता का नाम जमावंतिन पति शिवराज लिखी गई है जो कि गलत है, आवेदिका के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, एवं अन्य दस्तावेजों में आवेदिका का नाम देवंतिन बाई पति शिवराज दर्ज है जो कि सही है। आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में नाम सुधार करने हेतु आवेदन कार्यालय कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया गया है जो जांच हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 08/08/2022 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22/7/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202206100400590

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक निखिल कुमार कुल्हारा आ. सैत राम कुल्हारा निवासी भनुप्रतापपुर कांकेर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 132/13 रकबा 0.0181 हें/ 1950 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28/6/22 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202207100900094/202207100900094

विषय: अ-6 सन्- 2021-2022

मामले की श्रेणी-राजस्व

चुनकट्टा प.ह.न. 00025

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / भनुप्रताप महलवार अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक भनुप्रताप महलवार आ. स्व. सीताराम महलवार निवासी ग्राम चुनकट्टा तह. पाटन द्वारा ग्राम चुनकट्टा प.ह.नं. 25 तह. पाटन में स्थित भूमि खसरा नं. 257, 80 रकबा क्रमशः 1.180, 0.09 हे. कुल खसरा नं. 02 कुल रकबा 1.270 हे. आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि को आवेदक एवं अनावेदकगण 1/9 अंशों में समान रूप से बराबर-बराबर खाता विभाजन किए जाने आवेदन किया है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 10/8/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 18/7/22 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार, पाटन (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार पाटन के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202207100900122/202207100900122

विषय: अ-6 सन्- 2021-2022

मामले की श्रेणी-राजस्व

गभरा प.ह.न. 00015 (264/2 (0.8200 हे.))

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / खोमलाल अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक खोमलाल आ. नेपाल सिंह निवासी ग्राम घुघवा तह. पाटन द्वारा आवेदन पेश किया है कि अनावेदक नेपाल सिंह साहू आ. केजउ राम निवासी ग्राम घुघवा के नाम पर ग्राम लाहरसी तह. पाटन में पैतृक कृषि भूमि को विक्रय कर प्राप्त प्रतिफल राशि से ग्राम गभरा प.ह.नं. 15 तह. पाटन में स्थित भूमि खसरा नं. 264/2 रकबा 0.82 हे. क्रय किया है, जिस पर आवेदक का बराबर-बराबर का हक/हिस्सा है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 17/8/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15/7/22 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार, पाटन (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र- 20220810150004//ब/121/वर्ष 2021-22

एतद द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम मगरघटा प.ह.नं. 58 तह पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक भजन लाल चेलक निवासी ग्राम मगरघटा तह. पाटन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम मगरघटा प.ह.नं. 58 तह. पाटन जिला दुर्ग स्थित अपने नाम दर्ज सिलिंग भूमि खसरा नं. 269/1 रकबा 0.42 हे. भूमि का विक्रय किए जाने अनुमति बाबत आवेदन आधार पर प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदक भजन लाल चेलक पिता अमरू लाल चेलक निवासी मगरघटा तह. पाटन द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्तानुसार भूमि विक्रय की कार्यवाही में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 24/8/22 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 2/8/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, पाटन (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020 -21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक परदेशी यादव आ./पति सोनू यादव निवासी उतई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम करगाडीह तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 652 रकबा 0.370 हे. भूमि जो कि जन्त्रीबाई पति परदेशीराम के नाम पर वर्तमान अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 12/7/22 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 12/7/22 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18/8/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला

क्रमांक: 202207101000203/202207101000203

विषय: अ-6 सन्- 2021-2022

मामले की श्रेणी-राजस्व

कोहका प.ह.न. 00019 हे.

पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - / सकीना बेगम अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

आवेदक सकीना बेगम पिता/पति/विभाग स्व. मो. सलीम पता मरोदा भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 19 रा. नि. मं. कोहका तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 2583/4 रकबा 0.020 हे. है जो आवेदिका के पति मुहम्मद सलीम पिता मुहम्मद खलील के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी मुहम्मद सलीम पिता मुहम्मद खलील की मृत्यु दिनांक 08/02/2022 को हो जाने के कारण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने बाबत फौती नामांतरण आवेदन पत्र मय खसरा बी-1 मृत्यु प्रमाण की छाया की प्रति प्रस्तुत किया है।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि दिनांक 17/8/22 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 22/7/22 को जारी किया जाता है।

अति. तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि धनुष राम आ. कपील साकिन सिरसाखुर्द द्वारा ग्राम सिरसाखुर्द प.ह.न. ... रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 109, 15/2, 193, 210, 570/1, 722, 732 रकबा कुल 1.05 हे. जो उसके स्व. इंदर बाई के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 08/08/2022 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22/7/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांक: सीजी 5106415072022018

पोटियाकला प.ह.न. 00055 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00055 के अंतर्गत ग्राम पोटियाकला के भूमिस्वामी दिनेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम तोरन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे. मु. आम. पुन्नीन बाई पिता/पति स्व. समेदास पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे. मु.आम. महाबती पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. हेमिन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. सुखिया बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बिटावन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, राजेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, सुरेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 399/3 (0.0133) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08/08/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21/7/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांक: सीजी 5106418072022026

पोटियाकला प.ह.न. 00055 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00055 के अंतर्गत ग्राम पोटियाकला के भूमिस्वामी दिनेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम तोरन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे. मु.आम. महाबती पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. सुखिया बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. हेमिन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे. मु. आम. पुन्नीन बाई पिता/पति स्व. समेदास पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बिटावन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, राजेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, सुरेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 399/6 (0.0102) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08/08/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21/7/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग के न्यायालय में मामला

मामले की श्रेणी-राजस्व

क्रमांक: सीजी 5106418072022027

पोटियाकला प.ह.न. 00055 हे.

ईश्तहार

तह. दुर्ग के प.ह.नं. 00055 के अंतर्गत ग्राम पोटियाकला के भूमिस्वामी दिनेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम तोरन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे. मु. आम. पुन्नीन बाई पिता/पति स्व. समेदास पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे. मु.आम. महाबती पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. सुखिया बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बहे.मु.आम. हेमिन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, बिटावन बाई पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, राजेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, सुरेश कुमार पिता/पति स्व. पंचराम पता बोरसी वार्ड क्र. 52 दुर्ग तह व जिला दुर्ग, के द्वारा धारित भूमि खसरा नं. 399/6 (0.0220) में नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08/08/2022 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायानय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को उजर दावा हो सुनवाई तिथि के पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 21/7/22 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र-//अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक चन्द्रशेखर पटले आ. अभयराम साकिन जेवरा द्वारा ग्राम जेवरा प.ह.नं. 13 रा.नि.मं. दुर्ग-1 तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 516/1 रकबा 0.02 हे. हे. भू.रा. ..... रूपए सं संबंधित ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति में ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 10/8/22 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25/7/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

मैं शपथकर्ती रागिनी शर्मा (RAGINI SHARMA) पति स्व. विमल शर्मा (VIMAL SHARMA) उम्र- 41 वर्ष- निवासी म.नं. 99, मोहलई दरगांव दुर्ग तह. धमधा व जिला दुर्ग की हूं। मेरी जन्म तिथि 24/3/1981 है। मेरी पुत्री कृतिका शर्मा (KRITIKA SHARMA) जिसकी जन्मतिथि 19/2/2012 है जो कि कक्षा पहली की पढ़ाई गुड शेफर्ड इंग्लिश मिडियम स्कूल धमधा (छ.ग.) में एवं कक्षा दूसरी से चौथी की पढ़ाई स्काई इंटरनेशनल स्कूल में की है एवं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल दीपक नगर दुर्ग (छ.ग.) में कक्षा पांचवी में अध्ययनरत् है। जिसके शालेय रिकार्ड में मेरी पुत्री का नमा ARIKA SHARMA अंकित हो गया है। मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में कृतिका शर्मा माता रागिनी शर्मा पिता विमल शर्मा अंकित है। मेरी पुत्री के सही व वास्तविक नाम कृतिका शर्मा (KRITIKA SHARMA) को शासकीय गजट में प्रकाशन करवाने एवं इस आधार पर उसके स्कूल रिकार्ड में शासकीय-अर्धशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखो में उसका यही नाम अंकित करवाने बाबत आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ती, रागिनी शर्मा

नाम परिवर्तन

मैं शपथकर्ता हजारी लाल यदु (HAJARI LAL YADU) पिता धनेश कुमार यदु, उम्र 48 वर्ष निवासी खेरधा तह. धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं। मेरी जन्मतिथि 01/07/1974 है। मेरा पुत्र सागर यदु (SAGAR YADU) जिसकी जन्मतिथि16/8/2004 है जो कि कक्षा पहली से पांचवी तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु, मंदिर, खेरधा जिला दुर्ग (छ.ग.) में एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सुरडुंग जिला दुर्ग (छ.ग.) में कक्षा नवमी से कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत है, जिसके शालेय रिकार्ड में एवं दाखिल पंजी में मेरा नाम त्रुटिवश धूम यदु (DHOOM YADU) अंकित हो गया है। मेरा सही व वास्तविक नाम हजारी लाल यदु (HAJARI LAL YADU) है जो कि मेरे नाम से जारी आधार कार्ड नं. 726553718144 पैन कार्ड क्रमांक ADBPY1298M आर सी बुक CG07BS0107 एवं मतदाता परिचय पत्र क्रमांक SHJ0654145 से अभिप्रमाणित है। हजारी लाल यदु (HAJARI LAL YADU) एवं धूम यदु (DHOOM YADU) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरा स्वयं का नाम है। मेरे सही व वास्तविक नाम हजारी लाल यदु (HAJARI LAL YADU) को शासकीय गजट में प्रकाशन करवाने एवं उस आधार पर मेरे पुत्र सागर यदु (SAGAR YADU) के स्कूल रिकार्ड में शासकीय-अर्धशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों में अंकित करवाने बाबत आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ती, हजारी लाल यदु

नाम परिवर्तन

मैं शपथकर्ता रोहित धनकर (ROHIT DHANKAR) पिता द्वारिका धनकर उम्र 36 वर्ष निवासी म.नं. 124 वार्ड नं. 01 खम्हरिया, जेवरा सिरसा दुर्ग तह .व जिला दुर्ग का हूं। मेरी जन्म तिथि 08/09/1986 है। मेरा पुत्र रोहन धनकर (ROHAN DHANKAR) जिसकी जन्मतिथि 30/09/2011 है जो कि कक्षा पहली से कक्षा चौथी तक पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल कुटेलाभाठा में एवं कक्षा पांचवी से कक्षा छंटवी की पढ़ाई शासकीय माध्यमिक शाला, खपरी में अध्ययनरत् है जिसके शालेय रिकार्ड में एवं दाखिज पंजी में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश रोहन पाल (ROHAN PAL) माता का नाम किर्ति पाल एवं पिता का नाम रोहित कुमार पाल अंकित हो गया है जो कि सत्य व सही है। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में रोहन धनकर (ROHAN DHANKAR) माता कीर्ति धनकर (KIRTI DHANKAR) पिता रोहित कुमार धनकर (ROHIT KUMAR DHANKAR) अंकित है। मेरे पुत्र के नाम से जारी आधार कार्ड क्रमांक 745309571385 में उसका नाम रोहन पाल (ROHAN PAL) पिता रोहित कुमार पाल (ROHIT KUMAR PAL) अंकित है। मेरी पति का सही व वास्तवित नाम उसके आधार कार्ड क्रमांक 243310663744 पैन कार्ड क्रमांक DKLPD053G में कीर्ति बाई धनकर (KIRTI BAI DHANKAR) पति रोहित धनकर (ROHIT DHANKAR) अंकित है। इसी प्रकार मेरे नाम से जारी आधार कार्ड क्रमांक 531830335370 में एवं पैन कार्ड EQLPD6671R क्रमांक में मेरा नाम रोहित धनकर (ROHIT DHANKAR) अंकित है जो कि सत्य व सही है। मेरे पुत्र के सही व वास्तविक नाम रोहन धनकर (ROHAN DHANKAR) माता कीर्ति धनकर (KIRTI DHANKAR) पिता रोहित कुमार धनकर (ROHIT KUMAR DHANKAR) को शासकीय गजट में प्रकाशन करवाने एवं उस आधार पर उसके स्कूल रिकार्ड में, शासकीय अर्धशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों में अंकित करवाने बाबत आवश्यक दस्तावेजों के साथ यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता, रोहित धनकर

संपादकीय

तिरंगे को लेकर सियासत अनुचित

इस साल देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर सरकार ने घर-घर तिरंगा अभियान चलाने का आव्हान किया है किन्तु इस आयोजन को लेकर सियासत शुरू हो गई है जो कतई उचित नहीं है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। इस तिरंगे के तले ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्री की बलीवेदी पर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहूती दी थी। ऐसे तिरंगे को लेकर यदि कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता राजनीति कर रहे है तो यह उनकी संकीर्ण मानसिकता को ही उजागर करता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ति ने घर-घर तिरंगा अभियान को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की है वह उनकी घृणित सोच को दर्शाती है। उनका कहना है कि तिरंगा फहराने के लिए सभी लोगों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। वहीं वे कश्मीर के झंडे को लेकर भी आंसू बहा रहे है जो अब इतिहास बन चुका है। रही बात उनके इस आरोप की कि लोगों को घर-घर तिरंगा लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तो उन्हे यह बात समझनी चाहिए कि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जिन्हे अपने देश से प्यार होगा और राष्ट्रीय ध्वज के प्रती सम्मान होगा वे जरूर तिरंगा फहराएंगे लेकिन जो न चाहे उन्हे तिरंगे फहराने के लिए कोई बाध्य नहीं कर रहा है। इसके बाद भी इस तरह के बेतूके बयान देकर वे नेता बेवजह तिरंगे को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे है। इसी तरह असदुद्दीन औवैसी ने भी घर घर तिरंगा अभियान को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो तिरंगा के बारे में और भी विवादास्पद बयानबाजी की है। इस नेताओं की बेहूदा बयानबाजी से घर-घर तिरंगा अभियान की गरीमा खंडित हो रही है। बेहतर होगा कि ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले नेता तिरंगे को लेकर बयानबाजी से परहेज करे, यदि वे तिरंगे का सम्मान करना चाहते तो बेशन करें लेकिन उल जुलूल बयान देकर तिरंगे का अपमान भी न करें। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले अब तिंरगे पर सियासत दिखाई दे रही है. बीजेपी और कांग्रेस अब तिरंगे के नाम पर मैदान में उतरी हुई हैं. बीजेपी के हर घर अभियान के बाद अब कांग्रेस ने तिंरगा सम्मान महोत्सव और पदयात्रा कार्यक्रम मनाने का ऐलान किया है. तिंरगे को लेकर दोनों ही राजनीति दल मैदान में उतरे हुए हैं और अभियान छेड़े हुए हैं. जहां बीजेपी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में जोर लगाएगी तो वहीं कांग्रेस ने 9 से 15 अगस्त तक तिंरगा महोत्सव मनाने का ऐलान किया है।

विचार

भारत क्या पाकिस्तान की मदद करे?

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघ और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भारत के प्रति जिन शब्दों में आभार व्यक्त किया है, वैसे कर्णप्रिय शब्द किसी पड़ौसी देश के नेता शायद ही कभी बोलते हैं। क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के शीर्ष नेता भी भारत के लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग करें। यह बात मैंने एक भाषण में कही तो कुछ श्रोताओं ने मुझसे पूछा कि क्या पाकिस्तान भी कभी भारत के लिए इतने आदरपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों हमारे पड़ौसी देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत ने इन दोनों देशों को अनाजों, दवाइयों और डॉलरों से पाट दिया है। ये दोनों देश भारत की मदद के बिना अराजकता के दौर में प्रवेश करनेवाले ही थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपनी संसद को दिए पहले संबोधन में भारत का नाम लेकर कहा कि भारत ने श्रीलंका को जीवन-दान किया है। भारत ने श्रीलंका को 4 बिलियन डॉलर तथा अन्य कही सहूलियतें इधर दी हैं जबकि चीन ने भारत के मुकाबले आधी मदद भी नहीं की है और वह श्रीलंका को अपना सामरिक अड्डा बनाने पर तुला हुआ है। इसी तरह पिछले कुछ वर्षों में मालदीव के कुछ नेताओं को अपना बगलबच्चा बनाकर चीन ने उसके सामने कई चूसनियां लटका दी थीं लेकिन इसी हफ्ते मालदीव के राष्ट्रपति सोलेह की भारत-यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर दस्तखत हुए। सोलिह ने कोरोना-काल में भारत द्वारा भेजी गई दवाइयों के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद और राष्ट्रों के उस पार से होनेवाले अपराधों के विरुद्ध भारत के साथ खुला सहयोग करने की बात कही है। बिना बोले ही उन्होंने सब कुछ कह दिया है। भारत की मदद से सैकड़ों करोड़ रु. के कई निर्माण-कार्यों की योजना भी बनी है। भारत ने मालदीव को अनेक सामरिक संसाधन भी भेंट किए हैं। अब प्रश्न यही है कि क्या भारत ऐसे ही लाभदायक काम पाकिस्तान के लिए भी कर सकता है? किसी से भी आप यह प्रश्न पूछें तो उसका प्रश्न यही होगा कि आपका दिमाग तो ठीक है? पाकिस्तान का बस चले तो वह भारत का ही समूल नाश कर दे। यह बात मोटे तौर पर ठीक लगती है लेकिन अभी-अभी अल-क़ायदा के सरगना जवाहिरी के खात्मे में पाकिस्तान का जो सक्रिय सहयोग रहा और उसामा बिन लादेन के बारे में भी उसकी नीति यही रही, इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी! जब आसिफ ज़रदारी राष्ट्रपति थे तो मैंने फोन करके पूछा कि आपके भयंकर आर्थिक संकट में क्या हम आपको कुछ मदद दें तो आप स्वीकार कर लेंगे? उससे आपकी सीट को खतरा तो नहीं हो जाएगा? उनकी तरफ से हर्ष और आश्चर्य दोनों व्यक्त किए गए लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मनमोहनसिंहजी की हिम्मत नहीं पड़ी। यदि नरेंद्र मोदी इस समय शाहबाज शरीफ को वैसा ही इशारा करके देखें तो शायद कोई चमत्कार हो जाए। भारत-पाक संबंधों में अपूर्व सुधार के द्वार खुल सकते हैं।

कंगारू कोर्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया और सुप्रीम कोर्ट

प्रेम शर्मा

अब तो मीडिया का एक संवर्ग खुले आम दलगत राजनीति को हवा देने, उसके प्रवक्ता के रूप में काम करने जैसी हरकते करता दिखाई देता है। राजनेताओं और सरकारों के महिमा मण्डन में इलेक्ट्रानिक मीडिया अपनी सीमाए लॉघ चुका है। समय के साथ मीडिया के स्वरूप और मिशन में काफी परिवर्तन हुआ है। अब गंभीर मुद्दों के लिए मीडिया में जगह घटी है। अखबार का मुखपृष्ठ अमूमन राजनेताओं की बयानबाजी, उनकी प्रशस्ति, क्रिकेट मैचों अथवा बाजार के उतार-चढ़ाव को ही मुख्य रूप से स्थान देता है। गंभीर से गंभीर मुद्दे अंदर के पृष्ठों पर लिए जाते हैं तथा कई बार तो सिरे से गायब रहते हैं। समाचारों के रूप में कई समस्याएं जगह तो पा लेती हैं परंतु उन पर गंभीर विमर्श के लिए समय की या पृष्ठों की कमी हो जाती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस प्रकार से सामाजिक ढांचे में बदलाव हो रहा है इसके बारे में भी भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों में सामान्यतः बहुत कुछ पढ़ने को नहीं मिलता।

प्रिन्ट मीडिया को धकेल कर आगे बढ़ने की होड़ में इलेक्ट्रानिक मीडिया उस रास्ते आगे बढ़ चुका है जिसनें पत्रकारिता क्के अस्तिव के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में होने वाली बहस और खबरों को परोसने के बेतुके तरीको पर कोई पहली बार टिप्पणी नही हो रही बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश इलेक्ट्रानिक मीडिया को नसीहत दे चुके है। रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में एक कार्यक्रम मे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमन्नों कहा, कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है।उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया जीरो एकाउंटेबिलिटी के तहत काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया अदालतों के आदेश को तोड़-मरोड़कर देश की न्यायपालिका की छवि गलत तरीके से पेश करते हैं। इससे देशभर के न्यायाधीशों के आदेश पर कई सवाल खड़े होने लगते हैं। रांची के ज्यूडिशियल अकादमी में जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया खास कर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संयम रखें। सोशल मीडिया को ज्यूडिसीयरी स्वतंत्रता पर भी ध्यान देना होगा। हम लोग एक गाइडिंग फैक्टर के रूप में कोई मामले को नहीं सुलझा सकते। मीडिया ऐसे मामलों को भी उछालती है। यह हानिकारक (डेट्रीमेंटल) होता है। हमलोगों को समाज में लोकतंत्र की भावनाओं को देखते हुए काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। प्रिंट मीडिया की कुछ जवाबदेही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं बची है। सोशल मीडिया की इससे भी बदतर स्थिति है। इन दिनों हम न्यायाधीशों पर शारीरिक हमलों की बढ़ती संख्या देख रहे हैं। बिना किसी सुरक्षा या सुरक्षा के आश्वासन के न्यायाधीशों को उसी समाज में रहना होगा, जिस समाज में उन्होंने लोगों को दोषी ठहराया है।

सितम्बर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के नियमन की जरूरत है क्योंकि अधिकांश चौनल सिर्फटीआरपी की दौड़ में लगे हैं और यह ज्यादा सनसनीखेज की ओर जा रहा है। उस दौरान मीडिया का बचाव करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया था कि प्रेस को नियंत्रित करना किसी भी लोकतंत्र के लिये घातक होगा। जिसके जबाब में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मीडिया पर सेन्सरशिप लगाने का सुझाव नहीं दे रहा है लेकिन मीडिया में किसी न किसी तरह का स्वतः नियंत्रण होना चाहिए। यह टिप्पणी न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम 'बिन्दास बोल' के प्रोमो को लेकर उठे सवालों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. इस प्रोमो में दावा किया गया है कि 'बिन्दास बोल' कार्यक्रम में सरकारी नौकरियों में मुस्लमानों की कथित घुसपैठ की साजिश का पर्दाफाश किया जायेगा। ऐसी कई बार टिप्पणी इलेक्ट्रानिक मीडिया को लेकर हो चुकी है। इलेक्ट्रानिक मीडिया पर जिस तरह से बदजुबानी बहस दिखाई जाती है। जिस तरह से समाज के चीरहरण का प्रयास किया जाता है। जिस तरह से टीआरपी बढ़ाने के लिए खबरों का छिंदा अनवेषण किया जाता है उसे किसी भी स्थिति में सार्थक पत्रकारिता नही कहा जा सकता। समाचार चैनलों को यह बात जितनी जल्दी हो समझ लेना चाहिए वरना यदि देर हो गयी तो यह उनके अस्तित्व का संकट भी हो सकता है।

दायित्व निवहन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम यह होना चाहिए था कि वह लोगों को जागरूक करे किन्तु टीआरपी के चलते समाचार चैनल इन दिनों किसी भी खबर को सनसनी बनाकर पेश करने से नहीं चूक रहे। यह चिंताजनक स्थिति है। अगर हम भारतीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक चौनलों पर प्रसारित होने वाले समाचारों को देखे तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि इस देश में अब सूचना माध्यमों के लिए एकमात्र प्रमुख चिंता है राजनीतिक उठापटक और चंद राजनीतिज्ञों की चमक दमक एवं शोहरत का प्रचार प्रसार. बाकी सब बेकार है। सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत, प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता और वेब जर्नलिज्म की मजबूती ने इस माध्यम की प्रासंगिकता और भरोसे को तोड़ा है। सच को सामने लाना मीडिया का दायित्व होता है पर उस सच की कीमत कौन चुकाए?इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में प्रिंट मीडिया ज्यादा सशक्त है। प्रिंट मीडिया सावधानीपूर्वक अध्ययन और समझने के बाद खबर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पल-पल के समाचार तत्काल देता है। समाज में जागरूकता लाने में अखबारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। यह भूमिका किसी एक देश अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, विश्व के तमाम प्रगतिशील विचारों वाले देशों में समाचार पत्रों की महती भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता। मीडिया में और विशेष तौर पर प्रिंट मीडिया में जनमत बनाने की अद्भुत शक्ति होती है। नीति निर्धारण में जनता की राय जानने में और नीति निर्धारकों तक जनता की बात पहुंचाने में समाचारपत्र एक सेतु की तरह काम करते हैं। हम स्वयं को लोकतंत्र कहते हैं तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता जब तक उसके नागरिकों को अपने अधिकारों को जीवन में इस्तेमाल करने का संपूर्ण मौका न मिले। मीडिया समाज की आवाज शासन तक पहुंचाने में उसका प्रतिनिधि बनता है, लेकिन आजकल उलटा ही चलन है।आज प्रधान सेवक और उनकी पार्टी एवं सरकार के अतिरिक्त भारत देश में और कुछ समाचार बचा ही नहीं है. बाकी सेंसेक्स है, आइपीएल है. अर्थात आर्थिक समाचार और व्यवसाय. अब सवाल यह उठता है कि वाकई मीडिया अथवा प्रेस जनता की आवाज हैं? आखिर वे जनता किसे मानते हैं? उनके लिए शोषितों की आवाज उठाना ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा युद्ध और हथियारों की रिर्पोटिंग करना? आम आदमी के मुद्दे बड़े हैं अथवा किसी सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी? आज की पत्रकारिता इस दौर से गुजर रही है जब उसकी प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं।

बलिदानियों का अपमान है राष्ट्रमंडल की गुलामी

विष्णुगुप्त

ब्रिटेन की यह इच्छा भी थी कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण क्षीन हुई उसकी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति फिर से जीवित हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद ब्रिटेन दुनिया का बेताज बादशाह नहीं रहा था। दुनिया के पटल पर अमेरिका एक मसीहा देश के रूप में उपस्थित हो चुका था। राष्ट्रमंडल की अवधारणा कोई खास पहचान नहीं बना सकी। उसके घोषित प्रस्तावना सिर्फखानापूर्ति के विषय बन गये, मनोरंजन के विषय बन गये, पर्यटन के विषय बन गये। राष्ट्रमंडल न तो संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी भूमिका निभा सका और न ही लोकतंत्र के विकास और मानवाधिकार के संरक्षण में कोई बड़ी भूमिका निभा सका। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित अनेक देशों में लोकतंत्र का हनन कर दिया गया, तानाशाही लाद दी गयी, मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हुआ, तानाशाही कायम करने के लिए अमानवीय हिंसा हुई, गरीबी और कुपोषण बढ़ा।

राष्ट्रमंडल की गुलामी से मुक्ति का प्रश्न एक बार फिर महत्वपूर्ण हो चुका है और राष्ट्रमंडल की गुलामी को एक कंलक व स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल राष्ट्रमंडल खेलों की धूम है। खासकर भारत के मीडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चा है। चर्चा इसलिए है कि भारत के खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देश का कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो यह देशवासियों के लिए गर्व का विषय होता है। इसलिए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक मिलने के बाद गर्व की अनुभूति होनी ही चाहिए। राष्ट्रमंडल खेंल जिसे अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है और सदस्य देशों को खेल के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर भी देती है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कोई नया नही है बल्कि यह आयोजन गुलामी के कार्यकाल से चला आ रहा है। जब भारत सहित पूरी दुनिया की आधी से अधिक धरती और आबादी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करती थी ,उस काल से कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता आ रहा है। ऐसे पहला आयोजन 1930 में हुआ था। पहला आयोजन कनाडा के आटेरियों में हुआ, जिसमें ग्यारह देशों के 400 से धिकर खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एशली कूपर इस आयोजन और प्रतियोगिता के जनक माने जाते हैं। एशली कूपर वह शख्त थे जिन्होंने खेलों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव गुलामी आबादी के बीच मजबूत करने के लिए यह प्रस्ताव दिया था। एशली कूपर का कहना था कि ब्रिटिश कालोनी की आबादी के बीच सांस्कृतिक एकता और सामाजिक उत्थान के साथ ही साथ मानवीकरण के लिए ऐसे प्रस्ताव को लागू करना अति आवश्यक है। ब्रिटिश साम्राज्य ने एशली कूपर के इस प्रस्ताव को स्वीकृति देकर कॉमनवेल्थ गेम्स की परमपरा कायम की थी। हर चार साल के बाद इसका आयोजन होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स को ओलम्पिक गेम्स के बराबर खड़ा करने की कोशिश हुई है, हालांकि यह कोशिश सफल नहीं हो सकी, ओलम्पिक गेम्स की सर्वश्रेष्ठता बनी रही है।

राष्ट्रमंडल सिर्फखेलों के आयोजन के लिए भी नहीं जाना जाता है बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर राजनीतिक वर्चस्व के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल का प्रमुख ब्रिटेन की महारानी होती है। हिटलर के आक्रमण के बाद ब्रिटेन की पराजय नहीं हुई पर ब्रिटेन के साम्रज्य पर चोट जरूर पहुंची थी और ब्रिटेन की सैनिक और आर्थिक शक्ति जरूर चैपट हो गयी थी। ब्रिटेन के पास इतनी सैनिक और आर्थिक शक्ति नहीं बची थी कि वह अपनी गुलाम कालोनियों को नियंत्रित रख सके और अपने साम्रज्य की गुलामी नीतियों को आगे बढ़ा सके। सबसे बड़ी बात अमेरिका का दबाव भी था और अमेरिका की अपराजय वाली शक्ति स्थापित हुई थी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा-नागाशाकी पर परमाणु बम की वर्षा कर न केवल जापान का विध्वंस का किया था बल्कि हिटलर के गिरोह को भी तहस-नहस कर दिया था। खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को अमेरिका ने न केवल लडाकू हथियारों की आपूर्ति की थी बल्कि आर्थिक सहायता भी दी थी। अमेरिका अगर हिटलर की राह में रोड़ा नहीं बनता तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देशों का नामोनिशान मिट जाता और दुनिया के पटल पर हिटलर अपराजय वाली शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता। अमेरिका ने खासकर ब्रिटेन को इस शर्त पर मदद दी थी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद गुलाम कालोनियों को आजाद करना होगा और गुलामी के प्रतीकों को मिटाना होगा। क्योंकि हिटरल गिरोह की हिंसा और युद्ध ब्रिटेन जैसे उपनिवेशिक देशों की करतूतों के खिलाफ ही प्रारंभ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी ब्रिटेन अपनी गुलाम कालोनियों को आजाद करने का इच्छुक कदापि नहीं था। पर आर्थिक और सैनिक जर्जर स्थिति के साथ ही साथ अमेरिका के दबाव के सामने उसे झुकना पड़ा था। फलस्वरूप भारत सहित अनेक देशों को गुलामी से मुक्ति मिली थी।

ब्रिटेन की गुलामी से मुक्ति तो दुनिया के कई देशों को जरूर मिली थी पर ब्रिटेन की गुलामी मानसिकता से पूर्व गुलाम देश पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सके। ब्रिटेन की एक गुलामी मानसिकता के जाल में गुलामी से मुक्त देश फंस गये। ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल का पाशा फेंका था। ब्रिटेन ने चाल चली थी कि उसके कालोनियों से आजाद हुए देश राष्ट्रमंडल की छत्रछाया में एक रहेंगे और राष्ट्रमंडल को गुलामी का हथकंडा बना कर रखेंगे। इसके लिए सुरक्षा, सहयोग और सांस्कृतिक एकता को ढाल बनाया गया। ब्रिटेन ने 1947 में राष्ट्रमंडल को लेंकर कहा था कि वह आजाद हुए देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग करने के साथ ही साथ सास्कृतिक पहचान कायम करने के लिए पारस्पिरक सहयोग पर काम करेंगे। आर्थिक सहयोग का भी लालच दिया था। इसी लालच में भारत भी फंसा था और अन्य आजाद देश भी फसे थे।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

कौन लगती हूँ तेरी गलियों की

कौन लगती हूँ तेरी गलियों की हवा की महक अहसासों के बंद किवाड़ को धकेल मेरी रूह के कानों में पायल बजा गई और मैं सोचती ही रह गयी, कि, मैं तेरी कौन लगती हूँ तेरी आवाज़ की सोंधी खुशबू दिल के दरवाजे को धकेल मेरी रूह को सराबोर कर गयी और में सोचती ही रह गयी, कि, मैं तेरी कौन लगती हूँ।

– अनिता कपूर

हृदयंगम हरीतिमा

हृदयंगम हरीतिमा ओढ़े निसर्ग के झिलमिल गांव में; विहग-वृंद की गूंज में वृक्षों की घनी छांव में; पत्तों से टपकते पीयूष के रस में स्वयं को भिगोकर; आह्लादित मन जो छेड़े जयजयवंती की तान में; मैं हूं, तुम हो, जीवन है ढूंढ़ो तो ईश्वर-धाम है; इनके सुर में बह जाओ जीना तो इसी का नाम है। **– कविता माथुर**

खास पाती

नही चाहिए मोक्ष मुझे तुम्हारे

नही चाहिए मोक्ष मुझे तुम्हारे प्रेम से सुनो प्रिय कल जब मैं सुपुर्द ए ख़ाक होऊं मत कैद करना मेरी राख उस बंद ताबूत नुमा कलश में मत बहाना मुझे किसी पवित्र नदी की जलधारा में गुज़ारिश है तुमसे मत भिगोना तुम राख के उन धधकते कतरों को अपने आंसुओं से नही चाहिए मोक्ष मुझे तुम्हारे प्रेम से आज़ाद कर देना मुझे इस हवा की तरह जिसमें घुलमिल कर मैं रच बस जाऊं हर उस पगडंडी पर जहाँ जहाँ भी तुम अपने पाँव रखो।

– प्रियंवदा अवस्थी

हो रही हैं ,हत्यायें तड़प रही

हो रही हैं ,हत्यायें तड़प रही है ,आत्मायें गिर रही हैं ,लाशें , तेरे ही सामने खो रही हैं ,मानवता गम हो रही है इंसानियत , मिट रहा है भाईचारा , तेरे ही सामने तूने रचा ,रामायण , तूने रचा ,महाभारत , संघार किया दुष्टो का तूने ही , परन्तु! अब चुप क्यों है सब कुछ देख कर , क्या तेरी पौरुषता नष्ट हो गई हैं , मैं पूछता हु ,रामायण ,महाभारत की कहानियाँ गलत है , जबाब दे ङ्कजबाब दे . अरे ! मैं तो भूल ही गया , की तुझमे प्राण कहाँ , तु तो सिर्फएक मूर्ति है।

– नमन कुमार मिश्रा

राजनैतिक पार्टियां भंग हों चुनाव

राजनैतिक पार्टियां भंग हों । चुनाव निर्दलीय पद्दति से सम्पन्न हों । न मतदाता किसी का गुलाम हो, न उमीदवार किसी पार्टी का गुलाम हो । हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार हो और मतदाता एक पागल तक को चुन लेने के लिए स्वतन्त्र हों ।

– अर्पित अनाम

चाहे किसी का दिल हो कभी खाली नही रहता। चाहे प्यार हो अहंकार

चाहे किसी का दिल हो कभी खाली नही रहता। चाहे प्यार हो अहंकार हो, दर्द हो,इर्ष्या हो, ममता हो या नफरत मासूम दिलों में हमेशा प्यार रहता है ज़माने का फ़र्ज़ है कि वो उनमें जहर ना घोले फर्ज गर आदा होती तो बाखुदा दुनिया बहुत खुबसूरत होती।**– प्रीती श्रीवास्तव**

जीभ का क्या रहने दे, तकलीफमें

जीभ का क्या रहने दे, तकलीफमें बड़बड़ाया कर जीता है मर मर के तू , मन ही मन फुसफुसाया कर तू भी इन्सान है ये सोचकर, मुझे हँसी आने लगती है अबे! ज़िन्दा है मसीहा तो दिलों को खुदबुदाया कर।

– केदार नाथ शब्द मसीहा

गुमनाम ज़िन्दगी है मेरी अब

गुमनाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना बेदाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना मैं ढूँढता हूँ रोज़ , इधर से उधर तुझे नाकाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना दुनिया लगाती रोज़ है , इल्ज़ाम सर मेरे बदनाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना नफ़रत खड़ी है , राहे-मुहब्बत में आजकल पैग़ाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना जलने लगा है रोज़ चमन , नफ़रतों से अब किस काम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना रहने को घर नहीं , न निवाला ही मुँह का है इक शाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना लगता नहीं है जी कहीं , अब मैकदा है घर बस जाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना 'ऐनुल' ग़ज़ल में ढालते , क्यूँ दर्द रोज़ो-शब नीलाम ज़िन्दगी है मेरी , अब तेरे बिना।

– 'ऐनुल' बरौलवी

QUIZ TIME

1) भारत की समुद्री सीमा का विस्तार तट से कितने नॉटिकल मील तक है?
2) राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ट खिलाड़ी का डेविड डिक्सन पुरस्कार दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया?
3) बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था?
4) कौन सा प्रथम व एकमात्र रियासत जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी?
5) वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। वह किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) 12 नॉटिकल मील (2) [illegible] (3) राजा [illegible] (4) बीकानेर (5) सेल और भारतीय उद्योग

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1825 - बोलीविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की। 1862 - मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी। 1906 - प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर 'वंदेमातरम' समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1914 - ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफयुद्ध की घोषणा की। 1937 - अमेरिका में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना हुई। 1945 - अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया । 1960 - क्यूबा ने देश की सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया। 1962 - जमैका में ब्रिटेन का सम्राज्य समाप्त हुआ और उसे स्वतंत्रता मिली। 1986 - भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। 1996 - नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जतायी। 2001 - भारत और ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौता। 2010 - जम्मू कश्मीर में बाढ़ से कम से कम 255 लोग मारे गये। 2011 - थाईलैंड में प्यूइआ थाई दल की यिंगलुक शिनवात्रा देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। 2011 - अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 31 अमेरिकी और सात अफगानी सैनिकों की मौत हुई। 2015 - सऊदी अरब के आभा शहर में एक मस्जिद में आत्मघाती बम हमले में कम से कम 15 लोगों मारे गये। 2019 - पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का निधन । 2019 - हरियाणा ने महाराष्ट्र के मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) की तर्ज पर हरकोका (हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) कानून बनाया।

बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की मांग को लेकर भाजयुमो ने रोजगार कार्यालय घेरा

कवर्धा/नवप्रदेश। बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने को जोरदार प्रदर्शन किया। 300 से अधिक कार्यकर्ता पुराना मंडी से नारेबाजी करते हुए रोजगार कार्यालय का घेराव करने निकले थे। जहां पुलिस द्वारा 3-3 बैरिकेटिंग करके कार्यकर्ताओं को रोकने प्रयासर किया गया, लेकिन भाजयुमो नेता बैरिकेटिंग तोड़ते हुए पुलिस के साथ झूमाझपटी करते हुए रोजगार कार्यालय तक पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यालय में बेरोजगार कार्यालय का बैनर लगा दिया। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पीयूष सिंह ने कहा कि आज सरकार को घोषणा पत्र के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता देना होगा, अन्यथा बेरोजगार युवा चप्पलों की माला इनके नेताओं को पहनाना शुरू कर देगीं। इसका असर भी आने वाले दिनों में कवर्धा से दिखना शुरू हो जाएगा। रोजगार देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ, युवाओ को प्रदेश सरकार ने सिर्फ छला है। कांग्रेस ने 20 लाख रोजगार और 2500 रू बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। सरकार बने 4 साल व्यतीत होने को है। आने वाला साल फिर विधानसभा चुनाव होने को है, लेकिन अब तक बेरोजगारों के साथ किया गया वादा यह प्रदेश सरकार ने नहीं निभाया है। प्रदेश में बेरोजगार भाई बहनों के आवाज बनकर 24 अगस्त को प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी, अशोक साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष पटेल, जिला भाजपा महामंत्री क्रांति गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष जसविंदर बग्गा, शहर भाजपा अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, भाजयूमो जिला महामंत्री विशाल शर्मा, विक्की अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष तुकेश चंद्रवंशी समेत समस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

व्यावसायिक वाहन मालिकों को राहत, लंबित टैक्स में छूट

- ‘एकमुश्त निपटान योजना’ के तहत बकायादार परिवहन व्यवसायियों को शास्ति की राशि में छूट
- छूट का लाभ उठा सकेंगे आगामी 31 मार्च तक

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। जिन व्यावसायिक वाहन संचालकों ने परिवहन विभाग में टैक्स अदा नहीं किया है, उनके लिए राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला रही है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में परिवहन व्यावसायियों के हित में ‘एकमुश्त निपटान योजना’ का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट का लाभ दिया जा रहा है। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।

सरकार को 200 करोड़ का फायदा

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से शासन को करीब 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। प्रदेश के कई व्यावसायिक वाहन संचालक सालों से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने कई बार इन्हें नोटिस जारी किया, फिर भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में एकमुश्त निपटान योजना की स्वीकृति मिल गई है। इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

40 हजार वाहन बगैर टैक्स के दौड़ रहे

प्रदेश में करीब 50 लाख वाहन चल रहे हैं। इस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 हजार वाहन बगैर टैक्स पटाए चल रहे हैं। इनमें से कुछ कंडम हो चुके हैं और खड़े हैं। इनसे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। लगातार बस संचालकों को नोटिस भेज रहा है, लेकिन वे जवाब नहीं दे रहे हैं। टैक्स वसूली के लिए शासन वन टाइम सेलटमेंट स्कीम लाने जा रहा है। इसके तहत वाहन मालिकों को टैक्स में छूट दी जाएगी। एकमुश्त टैक्स लेकर मामले को खत्म कर दिया जाएगा। टैक्स जमा नहीं होने वाले वाहनों को परिवहन विभाग ने काली सूची में डाल दिया है।

31 मार्च 2023 तक होगी छूट

आयुक्त परिवहन दीपांशु काबरा ने बताया कि जारी अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में अधिरोपित लंबित शास्ति में छूट केवल ‘एकमुश्त निपटान योजना’ की अवधि 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगी। एकमुश्त निपटान योजना की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कर, शास्ति एवं ब्याज सहित पूर्ण राशि वसूल की जाएगी। अधिसूचना के अंतर्गत त्रैमासिक तथा मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी। इसके अलावा मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ‘व्हील-बेस’ के कारण कर, शास्ति एवं ब्याज अधिरोपित है, तो लंबित कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में ‘एकमुश्त निपटान की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दी जाएगी।

50 लाख वाहनों का हो रहा संचालन

सीएम भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग की सेवाओं का लाभ आमजन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। इस तारतम्य में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रावधान के तहत कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘‘एक मुश्त निपटान’’ की व्यवस्था के अंतर्गत छूट का प्रावधान किया गया है। इस आशय की अधिसूचना का प्रकाशन मंत्रालय महानदी भवन स्थित परिवहन विभाग द्वारा 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है।

20 से 25 हजार वाहनों का फिटनेस टेस्ट नहीं

प्रदेशभर में करीब 20 से 25 हजार वाहनों का कई सालों से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदेश भर में चलने वाली गाड़ियों, उनके मालिकों का नाम और चालान की डिटेल दर्ज है। वाहन मालिक वेबसाइट पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। व्यावसायिक वाहन मालिकों पर लाखों रुपये फिटनेस टैक्स के रूप में बकाया है। काफी समय से बकाया फिटनेस टैक्स की रिकवरी के लिए परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स सेटलमेंट स्कीम ला रहा है। बकाया जमा करने के लिए राशि निर्धारित की जाएगी। इससे जहां वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं, सरकारी राजस्व की रिकवरी होगी।

स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में शिक्षकों की कमी

- पालकों व युवा मोर्चा ने बीईओ को सौंपा ज्ञापन

बोड़ला/नवप्रदेश। नगर के स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में व्याप्त समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय युवा मोर्चा व पालकों ने ज्ञापन बीईओ को सौंपा है। भाजयुमो नेता सुनील मानिकपुरी ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। नगर में संचालित आत्मानन्द स्कूल के दोनों माध्यमों की कक्षाएं एक ही भवन में दो पारियों में लगाई जा रही है। स्कूल में कक्षा एक से कक्षा बारहवीं तक दोनों माध्यम में हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिससे दोनों माध्यमों के बच्चों को एक ही भवन में कक्षा लगाए जाने से समस्याएं हो रही है। एक ओर हिंदी माध्यम स्कूल में में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई नहीं हो पा रही तो दूसरी ओर इंग्लिश मध्यम स्कूल में लगातार कक्षाएं लगाई जा रही है। एक ही भवन में इंग्लिश व हिंदी माध्यम दोनों ही माध्यम के कक्षाएं संचालित किया जा रहा है जिससे हिंदी माध्यम के बच्चों की पढ़ाई में काफी व्यधान हो रहा है।

हिंदी माध्यम के साथ सौतेला व्यवहार

हिंदी माध्यम की स्कूल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक ओर जहां इंग्लिश मध्यम स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक होने के कारण कक्षाएं लग रही है वही हिंदी माध्यम में शिक्षकों की कमी है जिससे हर सेकेंडरी स्कूल की कई विषयों की पढ़ाई महीनों से नहीं हो रही है इस तरह सरकार द्वारा जानबूझकर हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। लोगों की मांग है इंग्लिश मीडियम की स्कूल का भवन अलग से बनाया जाए। पूर्व में संचालित हिंदी माध्यम स्कूल को यथावत रखा जाए।

कार्यक्रम होने पर हो जाती है छुट्टी : हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के पालकगण आरोप लगाते हैं कि इंग्लिश माध्यम स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हिंदी माध्यम के स्कूलों का छुट्टी कर दी जाती है जिससे हिंदी माध्यम के स्कूलों के छात्रों की छुट्टी कर दी जाती है। इस तरह हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पढ़ाई में लगातार बाधा उत्पन्न हो रहा है।

चना, मूंग, अरहर समेत अन्य दाल के लिए सैंपल, जांच के लिए भेजा लैब

कवर्धा/नवप्रदेश। पैन इंडिया प्लस प्रोग्राम के तहत खाद्य मानक सुरक्षा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से अलग-अलग किस्म के दाल की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू कुर्रे और टीम द्वारा की जा रही है। विभिन्न प्रतिष्ठानों से चना दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, आदि का लगभग 20 नमूना जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। इस दौरान टीम द्वारा खाद्य परिसर की स्वच्छता रखने, खाद्य पदार्थो का निर्माण मनको के तहत करने, खुले में खाद्य तेल का विक्रय नहीं करने निर्देश दिया जा रहा है साथ ही रक्षा बंधन त्यौहार को देखते हुए टीम द्वारा किराना दुकानों, मिठाई सेंटर, होटल इत्यादि का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। जिससे कि आमजन को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध हो सके।

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone2@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल आवास योजनांतर्गत खम्हारडीह, रायपुर में स्थित एलआईजी फ्लैट क्र.-10 चतुर्थ तल श्रीमती रेखा मोटवानी पति श्री अशोक मोटवानी को इस कार्यालय के आदेश क्र. 1439-40 दिनांक 26.06.2006 के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त फ्लैट का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 23.03.2007 को लीजडीड पंजीकृत उपरांत दिनांक 21.10.2010 को आधिपत्य आदेश प्राप्त कर दिनांक 07.08.2014 को हस्तांतरण विलेख (फ्री-होल्ड) निष्पादित करा लिया गया है। हस्तांतरण विलेख निष्पादन उपरांत उक्त फ्लैट को क्रेता श्रीमती नसीमा बेगम पति मोहम्मद इरफान खान, निवासी म.न.-100 ब्लाक नं. 7 बोर्ड 17, सेंचुरी सीमेंट स्टाफ बस्ती बैकुंठ टडवा, जिला रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में दिनांक 16.09.2019 को विक्रय कर लिया गया है। वर्तमान में क्रेता श्रीमती नसीमा बेगम पति मोहम्मद इरफान खान द्वारा उक्त फ्लैट को फ्री-होल्ड पश्चात अपने नाम पर मण्डल के अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त फ्लैट के फ्री-होल्ड उपरांत नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, रायपुर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेमेतरा जिला बेमेतरा

उद्घोषणा

प्र.क्र./अ-2/2021-2022

एतद् द्वारा सर्व साधारण को निवासी ग्राम बेरा तहसील वो जिला बेमेतरा को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री खोमेन्द्र वर्मा पिता मेधु वर्मा निवासी ग्राम बेरा तहसील वो जिला बेमेतरा ने ग्राम बेरा प.ह.न. 51 तहसील वो जिला बेमेतरा में स्थित उसकी भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 428/3 रकबा 0.0600 हे. को व्यावसायिक सह आवासीय प्रयोजनार्थ व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश करना हो तो वह पेशी तारीख 06.07.2022 तक पेश कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा।

आज दिनांक 07.06.2022 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./202207113700083/अ-6/2021-22 ग्राम-अमलीडीह प.ह.नं.-69

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका/क्रेता श्रीमती सोनम वाधवानी पति श्री चेतन वाधवानी निवासी एमआईजी 10, एकता विहार, महावीर नगर अमलीडीह रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा इस न्यायालय में धारा 110 छ.ग.भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नामांतरण बाबत आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि ग्राम अमलीडीह प.ह.नं. 69, रा.नि.मं. रायपुर तहसील व जिला रायपुर में स्थित परिवर्तित भूमि पुराना खसरा नं. 30/4, 30/22-24-25-110-23 एवं 31/5 आनलाईन पश्चात खसरा नं. 15011/16 रकबा 518.52 वर्गफुट याने 48.19 वर्गमीटर भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.01.2021 के माध्यम से विक्रेता/ अनावेदक मोहम्मद शमीम अख्तर पिता शेख मुबारक निवासी म.नं. 26/244, नई बस्ती, कनीज मंजिल राजातालाब रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) से क्रय कर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया गया है। अतएव उक्त आवेदित भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.01.2021 के आधार पर आवेदिका/ क्रेता के नाम दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया है।

अतएव जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से अपनी लिखित आपत्ति दिनांक 10/08/2022 को इस न्यायालय में पेश करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 18/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील
अति. तहसीलदार
रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार बालोद जिला बालोद (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 460/ब-121/2021-22

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रकाशचंद आ. भावनदास गंगवानी जाति सिंधी निवासी सिंधी कालोनी बालोद तहसील व जिला बालोद द्वारा स्थायी लीज पट्टे पर प्राप्त भूमि नगर बालोद प.ह.नं. 06 स्थित भूमि ख.नं. 682/4 का टु. रकबा 2148 वर्गफीट भूमि का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने आवेदन पेश किया गया है। इस संबंध में यदि किसी कोई उजर/ आपत्ति हो तो दिनांक 23.08.2022 के पूर्व पेश कर सकता है। नियत तिथि उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अस्तु आज दिनांक 04.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
बालोद

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone2@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल आवास योजनांतर्गत खम्हारडीह, रायपुर में स्थित एलआईजी फ्लैट क्र. 146/ब्लाक 07/ प्रथम तल श्रीमती आरती श्रीवास्तव पति श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव इस कार्यालय के आदेश क्र. 1423-24 दिनांक 26.04.2006 के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा दिनांक 11.02.2011 को लीजडीड उपरांत आधिपत्य आदेश प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्रीमती आरती श्रीवास्तव पति श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, निवासी- खण्डेलवाल कालोनी कमला कालेज रोड वार्ड-45 राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा उक्त फ्लैट को क्रेता श्री मुकेश खुटे पिता श्री रामावतार खुटे निवासी म.नं. 87, वार्ड 09 भाटापारा, दोंदेकला रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में विक्रय करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन, शपथ पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त फ्लैट के विक्रय के संबंध में किसी भी व्यक्ति, शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

भानुप्रतापपुर काष्ठागार (पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल) के नीलाम की संक्षिप्त विवरण

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत काष्ठागार भानुप्रतापपुर एवं बासांगार कराठी/अंतागढ़ एवं बांदे में संग्रहित ईमारती काष्ठ/बल्ली/ औद्योगिक/ व्यापारिक बांस का निम्न दर्शाए गए स्थल में भण्डारित है। जिसका निर्वतन नीलाम तिथि 08.08.2022 को किया जावेगा, तदानुरूप इच्छुक बोलीदारों से अनुरोध है कि घोष विक्रय में भाग लेवें।

नीलाम में प्रस्तावित मात्रा कम या अधिक हो सकती है। बोली लगाने के पूर्व कृपया वनोपज का निरीक्षण कर लेवें। घोष विक्रय की शर्तों एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में संबंधित वनमंडल से प्राप्त की जा सकती है।

वनमंडल का नाम	काष्ठागार का नाम	स्थान/नीलाम दिनांक व समय
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल	काष्ठागार भानुप्रतापपुर	काष्ठागार भानुप्रतापपुर नीलाम भवन दिनांक 08.08.2022 प्रातः 09.00 बजे से

-: अनुमानित मात्रा काष्ठ एवं बल्लियां :-

अ.क्र.	प्रजाति	पुराने काष्ठ की मात्रा		योग	
		काष्ठ घ.मी.	बल्ली	काष्ठ घ.मी.	बल्ली
1	सागौन	32	2656	32	2656
2	साल	346	117	346	117
3	बीजा	71	70	71	70
4	साजा	118	240	118	240
6	हल्दू/मुंडी	47		47	
7	सहिला/मोदे	17	17	17	17
9	धावड़ा	141	36	141	36
11	तेन्दू	6		6	
12	अन्य	169		169	
	योग :-	947	3136	947	3136

नीलाम हेतु प्रस्तावित औद्योगिक/व्यापारिक बांस :-

क्र.	वनमण्डल	बांसागार भानुप्रतापपुर	बंडल	नो.टन	रिमार्क
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	औद्योगिक बांसागार भानुप्रतापपुर (पुराना बांस)	2910	42.000	काष्ठ नीलाम के पश्चात औद्योगिक बांस/व्यापारिक बांस/वाहनों का नीलाम भानुप्रतापपुर नीलाम हाल में किया जावेगा।
		व्यापारिक बांसागार भानुप्रतापपुर (पुराना बांस)	52000	160.892	
		बांसागार अंतागढ़	नग	नो.टन	
2		व्यापारिक बांसागार अंतागढ़ (नया बांस)	42600	132.230	
		औद्योगिक बांसागार अंतागढ़ (पुराना बांस)	17015	192.630	
		बांसागार बांदे			
3	पश्चिम भानुप्रतापपुर	औद्योगिक बांसागार बांदे (पुराना बांस)	33258	477.852	

दूरभाष क्रमांक- पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल (07850-252223)

1. प्रत्येक क्रेता को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक लाट के संबंध में जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता है, उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1,000/- रुपए इसमें जो भी अधिक हो जमा करना अनिवार्य है।
2. क्रेता द्वारा नीलाम में बोली लगाने के पूर्व कलेण्डर वर्ष 2022 का पंजीयन, आयकर पेन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण पत्र ई.एम.डी. कक्ष में जमा करना अनिवार्य है।
3. विनिर्माता/उपभोक्ता/ व्यापारी लायसेंस/ जी.एस.टी. पंजीयन नंबर की छायाप्रति एवं आयकर पेन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करने पर ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
4. नीलाम में क्रय किए गये लाटों का विक्रय मूल्य सहित पूर्ण विवरण ई.एम.डी. जमा पर्ची के पीछे अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
5. वनोपज विक्रय उपरांत डिमाण्ड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इण्डिया का ही स्वीकार किया जावेगा।
6. अन्य जो भी जानकारी जो आवश्यक हो वनमंडल कार्यालय से संपर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं।

वनमंडलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल भानुप्रतापपुर

जी-93354/5

FORM NO. IV
(See Sub Rule 2 (a) of Rule 5)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
H.No. 797-II, Shantikunj, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)
(Area of jurisdiction - Madhya Pradesh and Chhattisgarh)

SUMMON FOR APPEARANCE & SHOW-CAUSE
(Under Sub-Section (4) of section 19 of the Act with sub rule (2A) of the rule 5, of Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules1993

Original Application No. 584/2020

CANARA Bank, MCB, Raipur — APPLICANT :
VERSUS
M/s. Adarsh Diesal & Others — DEFENDANTS :

To,
1. **M/s. Adarsh Diesels** Represented by its partner **Vishal Chouhan and Smt. Nivedita Singh**, C/o. Opposite Ggan Palace Hotel, Tati Band Chowk, Raipur (C.G.) PIN-492001.
2. **Vishal Chouhan S/o. Devendra Bahadur Chouhan** R/o. 122, Sector-3, Deendayal Upadhyay Nagar, Raipur (C.G.) PIN-492001.
3. **Smt. Nivedita Singh W/o. Ranjan Pratap Singh** R/o. Block C-101, First Floor, Vineet Estate, Shankar Nagar, Raipur (C.G.) PIN-492001.
4. **Smt Preet Chouhan W/o. Vishal Chouhan** R/o. 122, Sector-3, Deendayal Upadhyay Nagar, Raipur (C.G.) PIN-492001.

Whereas **O.A. No. 584/2020** was listed before the Hon'ble Presiding Officer on 06.01.2021.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons / notice on the said application under Section 19(4) of the Act O.A. filed against you for recovery of debts of **Rs. 23,88,815.55/-** (Twenty Three Lakhs Eight Eight Thousand Eight Hundred Fifteen and Paisa Fifty Five) plus interest and expenses.

In accordance with Sub Section (4) of Section 19 of the Act, You the defendants are directed as under:-

1. To show cause within 30 days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3 A of the original application pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets of such other assets and properties disclosed under Serial No. 3 A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application of the attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3 A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the Written Statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **07.11.2022 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and seal of the Tribunal, This **30th day of July, 2022**.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर डंगनिया रायपुर में निर्मित एलआईजी योजना में से भवन क्र. एलआईजी-72 सेक्टर 02 में श्री सुरेश कुमार शादीजा पिता श्री जे.एम. शादीजा को भाड़ाक्रय/स्ववित्तीय/एकमुश्त/आफर आधार पर आबंटित/नामांतरित किया गया है। उनके द्वारा दि. 07.01.2006 को लीजडीड/सेलडीड/ विक्रय विलेख पंजीकृत करा लिया गया है। मूल आबंटी द्वारा उक्त भवन श्री विकास अग्रवाल पिता श्री दुलीचन्द अग्रवाल के पक्ष में दिनांक 06.12.2012 को विक्रय कर दिया।

उदउपरांत क्रेता द्वारा उक्त भवन/भूखंड अपने नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति, सहमति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/भूखंड क्रेता श्री विकास अग्रवाल पिता श्री दुलीचन्द अग्रवाल के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशित की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 170/22-23
वार्ड का नाम- शंकर नगर-30

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शंकर नगर-30 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 32/ई-305 गोलछा रेसीडेन्सी जो कि निगम अभिलेख में श्री अजय नारंग s/o रमेश नारंग के नाम से दर्ज है, जिसको श्री सुमीत जैन s/o अशोक कुमार जैन, श्रद्धा जैन w/o सुमीत जैन रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 3/8/2022
जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-3
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-3, शंकर नगर पानी टंकी के नीचे,
Email nagarnigamzone3@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 171/22-23
वार्ड का नाम- रानी लक्ष्मीबाई-10

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई-10 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ अशोका रतन 17-302 जो कि निगम अभिलेख में श्री मंगल कुमार अग्रवाल s/o बनवारीलाल अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती ममता अग्रवाल w/o स्व. प्रदीप अग्रवाल रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

दिनांक 5/8/2022
जोन आयुक्त
जोन क्रमांक-3
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक 3985/NIT-5/2022-2023/वलेलि — दिनांक 02/08/2022

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :-	18/08/2022 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-	25/08/2022 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :-	26/08/2022 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र की कीमत (रु.में)	750.00
निविदाकारों की श्रेणी	ई-पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी ‘‘द’’ से ‘‘अ’’ तक
कार्य की अवधि	Upto 31.03.2023

एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम/ NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रू.में) बैंक साल्वेंसी (रु.में)
1	2	3
5 T0022	SPECIAL REPAIR FOR RESIDINTIAL AND NON RESIDENTIAL BUILDING UNDER SUB DN 01 प्रथम आमंत्रण	25.00 18750.00 375000.00
5 T0023	SPECIAL REPAIR FOR RESIDENTIAL AND NON RESDISENTIAL BUILDING UNDER SUB DN NO 02 प्रथम आमंत्रण	25.00 18750.00 375000.00
5 T0024	SPECIAL REPAIR FOR RESIDENTIAL AND NON RESDISENTIAL BUILDING UNDER SUB DN KESHKAL प्रथम आमंत्रण	25.00 18750.00 375000.00
5 T0025	SPECIAL REPAIR FOR ROADS BRIDGES AND CULVERTS UNDER SUB DN NO. 1 प्रथम आमंत्रण	25.00 18750.00 375000.00
5 T0026	SPECIAL REPAIR FOR ROADS BRIDGES AND CULVERTS UNDER SUB DN NO. 2 प्रथम आमंत्रण	25.00 18750.00 375000.00
5 T0027	SPECIAL REPAIR FOR ROADS BRIDGES AND CULVERTS UNDER SUB DN KESHKAL प्रथम आमंत्रण	25.00 18750.00 375000.00

1. अन्य निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। एवं अन्य निविदा संबंधी शर्तों का अवलोकन संबंधित संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. (भ/स) कोण्डागांव संभाग कोण्डागांव

जी-93348/3

न्यूज गैलरी

कलेक्टर ने आंबा केन्द्र का किया निरीक्षण

बेमेतरा/नवप्रदेश। कलेक्टर ने दाढ़ी प्रवास के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र दाढ़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने रेडी-टू-ईट, पूरक पोषण आहार, शिशुवती एवं गर्भवती माताओं को दिये जा रहे गरम भोजन, साफ-सफ ाई की जानकारी ली। आंगनबाड़ी केन्द्रों में 13 अगस्त तक मनाये जा रहे वजन त्यौहार के संबंध में अपने समक्ष नन्हे बच्चों का वजन कराया। उन्होंने मेनू का पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गंभीर कुपोषित बच्चों के संबंध में भी पूछताछ की। आंगनबाड़ी केन्द्र में संधारित किए जा रहे रजिस्टर (रिकार्ड) का अवलोकन किया। इस केन्द्र में अतिकुपोषित की श्रेणी में दो बच्चे पाये गये। जिलाधीश ने इनकी स्वास्थ्य में विशेष सुधार लाने के निर्देश दिए। 0 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की बुनियाद रखने, शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर में कमी लाने, स्वास्थ्य जांच टीकाकरण पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन किया जाता है।

मिलर्स द्वारा 46936 एमटी चावल जमा करना शेष

बेमेतरा/नवप्रदेश। कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला ने जिले के राईस मिलर्स द्वारा चावल जमा कार्य की समीक्षा की। समीक्षा में जिले में राईरा मिलर्स द्वारा कुल धान उठाव के विरूद्ध 149517 मेट्रिक टन चावल जमा किया गया तथा 46936 मेट्रिक टन चावल जमा किया जाना शेष है, जो कि कुल लक्ष्य का 24 प्रतिशत है। यह चावल नागरिक आपूर्ति निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो राजनांदगांव व तिल्दा में जमा किया जाना है। मिलर्स जिनका 30 प्रतिशत से अधिक चावल जमा किया जाना शेष है उन्हें इस कार्य में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने भारतीय खाद्य निगम में किसी भी तरह की परेशानी आने पर जिला विपणन अधिकारी को सर्व संबंधित से चर्चा कर समस्या के निराकरण करने हेतु कहा गया। शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की आपूर्ति हेतु प्रतिदिन 1500 मेट्रिक चावल जमा करने का भी निर्देश राईस मिलर्स को दिया गया। चावल जमा कार्यो की समीक्षा प्रति सप्ताह की जावेगी। पूर्व में लक्ष्य के अनुरूप कार्य नही करने वाले 17 मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भविष्य में भी कार्य में प्रगति नही लाने वाले मिलर्स के विरूद्ध सुसंगत आदेशो के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। मिलर्स द्वारा एफसीआई पूल में चावल जमा करने की मियाद 30 सितम्बर तक निर्धारित की गई है। समीक्षा के दौरान जिला राईस मिल एसोसियेशन के अध्यक्ष विनय शर्मा की ओर से आश्वासन दिया गया कि समस्त मिलर्स द्वारा शासन के मंशा अनुरूप कार्य किया जाएगा।

खपरीखुर्द से तिलई तक निकाली गई विशाल कांवड़ यात्रा

राजनांदगांव/नवप्रदेश। खपरीखुर्द से तिलई शिव मंदिर तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। विधायक भुनेश्वर बघेल द्वारा आयोजित कांवड़ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत खपरीखुर्द स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कांवड़ लेकर गाजे-बाजे भक्तिमय वातावरण के साथ यात्रा प्रारंभ किया गया। यात्रा का समापन तिलई शिव मंदिर में पूजा के साथ किया गया। विधायक ने क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना के साथ सावन माह के सोमवार को कावड़ यात्रा में शामिल सभी का आभार व्यक्त किया। यात्रा के दौरान जिला पंचायत सदस्य पुष्पा वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रतन यादव, सुरेश सिन्हा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शोभाराम बघेल, क्षेत्रीय जनपद सदस्य सभापति ओमप्रकाश साहू, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सौरभ वैष्णव, जनपद सदस्य गीतालाल वर्मा, हेमंत वैष्णव, खपरीखुर्द सरपंच विनीता वर्मा, पदुमतरा सरपंच ललिता साहू, तिलई सरपंच मथुरा नेताम, घुमका सरपंच फूलमती वर्मा, चंद्रेश वर्मा, नवीन लुनिया, दिलीप नेताम, गंभीर साहू, ललित चांदतारे, गिरीश साहू, अखिलेश दुबे, राजेन्द्र यदु, दिनेश पुराणिक, गौकरण वर्मा, राजू राजपूत, मोहन साहू, संतोषी वैष्णव, महेश वर्मा, गुलाल साहू, सफि ल खान, वीरेंद्र मुक्ति, हेमंत नेताम, पूनम देवांगन, मनराखन निर्मलकर, गणपत साहू, कुलेश्वर साहू, पप्पू नेताम, गणेश राम, टीकू यादव, धन्ना यादव, रितेश सिन्हा, उमराव वर्मा, शिवानंद यादव, जयकुमार वर्मा, अनिल वर्मा, रूपेश वर्मा, सहित सैकड़ों शिव भक्त उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने की एक घंटा अधिक पढ़ाने शिक्षकों से अपील

बेमेतरा/नवप्रदेश। पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अब स्कूलों में अतिरिक्त क्लास लगाने की अपील कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने शिक्षकों से की है। कलेक्टर ने कहा है कि 25 से 29 जुलाई तक पांच दिन तक शिक्षकों द्वारा सामूहिक आवकाश लेकर हड़ताल में चले जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। जिसकी भरपाई के लिए शालाओं में एक घंटे अतिरिक्त समय देकर विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य कराने हेतु कल समय सीमा की बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को निदेर्शित किये हैं। कलेक्टर ने शिक्षकों से आव्होन किये हैं कि वे अपने विद्यालय के शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए पूरे तन-मन से जुट जायें। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने बच्चों की भांति समझ कर एक घण्टा अतिरिक्त समय देकर पठन-पाठन का कार्य करायें। जिससे स्कूल, संकुल, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार आ सके।

धुमाल संचालक कल्याण संघ ने नियमों का पालन करने की अपील

देवकर/नवप्रदेश। बेमेतरा जिला साउंड डीजे एंड धुमाल संचालक कल्याण समिति के सदस्य (न्यू एजाज धुमाल ग्रुप) के संचालक ऐजाज अली ने आगामी गणेश विसर्जन 'दुर्गोत्सव विसर्जन व आने वाले पर्वो को लेकर डीजे धुमाल बजाने वालों से अपील की है कि साउंड डीजे एंड धुमाल संचालक कल्याण संघ बेमेतरा जिलाअध्यक्ष सीताराम यदु, उपाध्यक्ष- कमलसिंह चंदेल व यूनियन के द्वारा संघ के जो भी नियम व शर्तें हैं उन्ही शर्तों के मुताबिक काम करें। वहीं धुमाल यूनियन के प्रदेश संघ के द्वारा बनाए गए नियमों का भी पूर्णरूप से पालन करें व शासन-प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का भी पूर्णरूप से पालन करें जैसे कि

गणेश विसर्जन पर रोड शो हेतु कलेक्टर या फि र स्थानीय प्रशासन द्वारा परमिशन कस्टमर के पास होना चाहिए। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के सामने नहीं बजाया जाए व अन्य नियमों का पालन करें एवं आगे गणेश विसर्जन पर प्रशासन द्वारा जो भी गाइड लाइंस आऐंगे उस नियम का पूर्णरूप से सभी पालन करते हुए काम करने की अपील की।

संभागायुक्त कावरे ने अल्पवर्षा प्रभावित क्षेत्रों का किया मुआयना

■ **फसलों की स्थिति का नजरी आंकलन करने के दिए निर्देश**

बेमेतरा/नवप्रदेश। संभागायुक्त दुर्ग महादेव कावरे ने बुधवार को बेमेतरा जिले के विकासखण्ड बेरला के अल्पवर्षा प्रभावित गांव सोढ़ व सिवार का दौरा कर खेतों का मुआयना किया। इस दौरान उपस्थित किसानों व ग्रामीणों के साथ चर्चा कर अल्पवर्षा के कारण फसल बोआई की स्थिति की जानकारी ली व अल्पवर्षा से निपटने हेतु किसानों को आवश्यक जानकारी दी। कमिश्नर ने किसानों को समस्याओं का यथासंभव निराकरण करने का आश्वासन दिया। श्री कावरे ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अन्तर्गत किसानों से धान उपार्जन के भुगतान की जानकारी ली। संभागायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को फ सलों की स्थिति का नजरी आंकलन करने के निर्देश दिए। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बीते दिनों वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर एवं संभागायुक्तों की बैठक लेकर अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति से निपटने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी लेने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर फ सलों की स्थिति का जायजा लेने और राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे।

आपके द्वार आयुष्मान अभियान ने फिर पकड़ी रफ्तार, छूटे हुए लोगों को कार्ड बनवाने की अपील

■ **15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा जिले में विशेष अभियान**

कबीरधाम/नवप्रदेश। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान जिले में एक बार फिर तेज कर दिया गया है। यह विशेष अभियान लोगों को स्वास्थ्य सहायता योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आपके द्वार आयुष्मान तृतीय चरण के नाम से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का लोक सेवा केंद्रों (च्वाइस सेंटरों) तथा समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। इससे पहले किए गए पंजीयन के आधार पर लोक सेवा केंद्रों में आयुष्मान कार्ड पहुंचाए भी जा रहे हैं। अब तक लगभग 2.70 लाख आयुष्मान कार्ड लोक सुविधा केंद्रों को भेजे जा चुके हैं जिसमें से दो लाख से अधिक कार्डों का वितरण किया जा चुका है। जिन लोगों ने पूर्व में जिस लोक सेवा केंद्र में अपना पंजीयन कराया है, उस लोक सेवा केन्द्र से पुनः बायोमेंट्रिक अथेंटीकेशन के बाद निःशुल्क प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। आयुष्मान कार्ड के लिए राशि की मांग किए जाने पर टोल-फ्री नंबर 104 पर सूचित करने की अपील की जा रही है, ताकि इस योजना की आड़ में गड़बड़ी होने से रोका जा सके। आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, शासकीय फेटो पहचान पत्र आवश्यक है। यह आवश्यक दस्तावेज लेकर लोक सेवा केंद्र अथवा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर कार्ड बनवाया जा सकता है।

अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेशाध्यक्ष का नवागढ़ में हुआ भव्य स्वागत

नवागढ़/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन का नवागढ़ आगमन पर छग जैन युवा श्री संघ के प्रदेश सचिव, नपं नवागढ़ के एल्डरमैन अमित जैन, युवा मुस्लिम यंग कमेटी नांदघाट अध्यक्ष आरिफ बाठिया के नेतृत्व में जोरदार आतिशबाजी, गगनभेदी नारों के बीच सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजीव गांधी चौक में स्वागत किया गया। स्वागत पश्चात चौक में स्थित स्व. राजीव गांधी की मूर्ति में माल्यार्पण कर नमन करने के बाद, बाईक रैली निकालकर प्रदेश अध्यक्ष को स्थानीय विश्राम गृह ले जाया गया। जहां पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को वर्तमान कांग्रेस सरकार की योजनाओं और सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों को जनता तक पहुंचाने की बात कहते हुए कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक विधानसभा में होने वाले तिरंगा पदयात्रा में अनिवार्य रूप से शामिल होकर लोगो से जनसंवाद करने की बात कही। विश्राम गृह में नवागढ़ मुस्लिम समाज के सदर हीरू कुरैशी, नायब सदर इस्माईल खान, जिब्राइल खान, नवाब खान, नजीर बेग, मजीद बेग के अलावा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी प्रिंस डेहरे, अंशु केशरवानी, ईमरान खान, युवा कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी आशीष राजपूत, नपं एल्डरमैन वीरेंद्र जायसवाल, जस्सी, राजू, मुकेश, राकेश, दीपक, राजकुमार, संतोष, प्रदेश महासचिव जावेद नकवी, अभिषेक मोदी, गुलजेब अहमद, रूबी सलूजा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विधायक निधि से 14.50 लाख के विकास कार्य मंजूर

बेमेतरा/नवप्रदेश। बेमेतरा विधानसभा अंतर्गत 14.50 लाख रूपए की विकास कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक आशीष छाबड़ा की अनुशंसा पर कलेक्टर जितेन्द्र शुक्ला ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत उक्त स्वीकृति दी है। ग्राम गुनरबोड़ ग्राम पंचायत चोरभट्ठी (सतनामी पारा) में सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु 2 लाख एवं ग्राम पंचायत खिलोरा में सांस्कृतिक मंच का छत निर्माण (शीतला मंदिर) हेतु एक लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेमेतरा को बनाया गया है। बेरला के अन्तर्गत ग्राम देवरी में सांस्कृतिक मंच निर्माण हेतु 2 लाख, ग्राम पंचायत चिखला में (शीतला मंदिर के पास) भवन निर्माण कार्य के लिए 3 लाख, ग्राम पंचायत खम्हरिया (डी) में मंच निर्माण हेतु 2.50 लाख रुपये, ग्राम सींगारडीह ग्राम पंचायत गाड़ामोर में भवन निर्माण (शीतला मंदिर के पास) हेतु 2 लाख रुपये, ग्राम पंचायत कठिया में कबीर कुटी के पास मंच निर्माण हेतु 2 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

गांव, गली-मोहल्लों में झंडा फहराने की तैयारी

■ **हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करेगी भाजपा**

कवर्धा/नवप्रदेश। देशभर में प्रधानमंत्री के आव्हान पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में और सभी जिलों में भी इसकी तैयारी जोरों पर है. हर गांव, गली-मोहल्ले में तिरंगा फहराने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अशोक साहू ने बताया कि केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से झंडे भेजवा रही है. हम प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में झंडे उपलब्ध करवाएंगे. उन्होंने सभी समाजों से भी इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील ही है. आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं. जिन्होंने आजादी की लड़ाई को नहीं देखा, लड़ाई में त्याग, तपस्या, बलिदान करने वालों को नहीं देखा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने महापुरुष रहे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो फांसी के फंदे पर लटके, ऐसे सभी लोगों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के 125 करोड़ लोगो से तिरंगा फहराने का आग्रह किया है. इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा होगी. इस उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है।

बेटे नमन को सरकार, जनप्रतिनिधि व समाजसेवियों का नहीं मिला सहयोग : दुष्यंत

■ **कहा दुर्लभ बीमारी के चंगुल में, चिकित्सा सुविधा की कर रहे हैं मांग**

राजनांदगांव/नवप्रदेश। मोतीपुर निवासी दुष्यंत वर्मा के बेटे नमन वर्मा जो कि एक दुर्लभ बीमारी के चंगुल में फंसा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि व समाजसेवियों से लगातार सहयोग की अपील करते हुए थक गए, लेकिन सहयोग नहीं के बराबर मिला। यहां पर हम आपको बताते हुए चलते हैं कि मोतीपुर वार्ड नंबर 3 के निवासी दुष्यंत वर्मा का परिवार के एकलौते बचे बेटे नमन वर्मा जो की स्टेट हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र है, जिनको दुर्लभ बीमारी ने जकड़ा हुआ है, जिसे मेडिकल साइंस नॉर्मोस्टिक हाइपोक्लोराइट एनीमिया विद थ्रोमबॉसिस (एप्लास्टिक एनेमिया) कहती है। इसमें होता यह है कि बच्चे के नाक-कान-मुंह से खून निकलता है। माता-पिता के ऊपर दुःख का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं बेटे के टेस्ट करा-कराकर सब चीज लुटा चुके है। परिवार इलाज कराने में विफल है। पिता ड्राइवर और माता सिलाई मशीन का काम करती है। बेटे नमन वर्मा का इलाज दक्षिण भारत के वेल्लोर शहर के सीएमसी हॉस्पिटल मेडिकल संस्थान में चल रहा है, जहां मां-बेटे ने रुक कर तमाम टेस्ट करा चुके है, मां से बोनमैरो लेकर बेटे नमन वर्मा में ट्रासप्लाट करना बाकी है, इस टेस्ट में माँ का सेंपल लिया गया जो आश्चर्य पूर्वक 100 में 100 मिलान हुआ है। डॉक्टरों ने इसे अजूबा माना है, वहीं डॉक्टरों ने इलाज का स्टिमेंट बनाया है 15 लाख का है।

पिता ने बेचा गहने, अब घर बेचने की तैयारी

दुष्यंत वर्मा घर में रखे गहने बेचकर दो लाख पांच हजार रुपये एकत्रित किए। परिवार वालों से कर्ज के रूप में छः लाख रुपये और मोहल्ले वालों से पचास हजार पांच सौ रुपये मिले। घर बेचने की तैयारी चल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में फिलहाल अभी 5 लाख इलाज के नाम पर जमा करना होगा। वहां रुक कर खाने-पीने की चीजें भी बहुत महंगी है, उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए घर को बेचने की तैयारी चल रहा है। राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि व समाजसेवियों का अगर सहयोग मिल जाता तो बेटे नमन वर्मा को बचाया जा सकता है, लेकिन जब नमन वर्मा ठीक होकर घर पहुंचेंगे तो उनके सिर पर छत नहीं होगा। क्योंकि इलाज के नाम

राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाएगा हर घर तिरंगा अभियान : बग्गा

कवर्धा/नवप्रदेश। जिस तिरंगे की आन, बान और शान की खातिर हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उसी तिरंगे के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का अवसर है हर घर तिरंगा अभियान। इस अभियान के जिला प्रभारी अशोक साहू तथा कवर्धा विधानसभा प्रभारी जसविंदर बग्गा ने ये बातें आज विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच रखते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत इस वृहत अभियान की संकल्पना की है जब पूरे देश के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। हम सबको मिलकर अपने विधानसभा में इसे व्यापक प्रचार के माध्यम से सफल बनाना है। पार्टी ने इसके लिए विधानसभा स्तर पे प्रभारी भी नियुक्त किए हैं जिनमे कवर्धा विधानसभा के लिए जसविंदर बग्गा के साथ राजेंद्र चंद्रवंशी और संतोष पटेल को जिम्मेदारी दी गई है।

प्रथम पेज का शेष

ऐसा सिस्टम...

खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में पार्टी के नेताओं ने रायपुर के अंबेडकर चौक पर धरना-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसके बाद सभी नेताओं ने गिरफ्तारी देने राजभवन तक मार्च किया। कांग्रेस ने एक ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू से महंगाई की रोकथाम, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को हटाने समेत अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है।

सीएम ने केंद्र सरकार पर किया हमला : कांग्रेस के राजभवन घेराव कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं,इसी ईंधन से ट्रक भी चलता है और किसान का ट्रैक्टर चलता है। ईंधन महंगा होने से खेती किसानी के काम भी महंगे हो गए हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ने से आम आदमी का घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। सीएम भूपेश ने आगे कहा कि देश में महंगाई बढ़ने से व्यापारी, गृहणी, किसान परेशान हैं। मोदी सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जनता के जेब से पैसा मोदी सरकार के पास जा रहा है।

कीमतें बढ़ाकर 28 लाख करोड़ वसूले : मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमते बढ़ाकर 28 लाख करोड़ रुपए वसूल किये हैं। केंद्र सरकार उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर रही है। उन्होंने सरकारी सम्पत्तियों के निजीकरण पर विरोध जताते हुए कहा कि देश में एयरपोर्ट हैं सब बिक रहे हैं, इन्हे कौन खरीद रहा बताने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रिसाली
रिसाली सेक्टर बी.एस.पी. स्कूल नं.-35, पिन-490006
Website :- risali.urbanecg.gov.in

क्र./लो.क.वि./2022/1063 | रिसाली, दिनांक 04/08/2022

// निविदा सूचना //

आयुक्त नगर पालिक निगम, रिसाली की ओर से **कुल 39 कार्य** हेतु लोक कर्म विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृति ठेकेदारों से लो.क.वि. भवन एवं रोड एस.ओ.आर. 01.01.2015 के आधार पर प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

नियम एवं शर्तें तथा कार्यों का विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं विभागीय risali.urbanecg.gov.in में भी देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
रिसाली

कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/जि.चि./निविदा/साफ-सफाई/2022/5533 | दुर्ग, दिनांक 03/08/2022

जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण

जिला चिकित्सालय दुर्ग के नवनिर्मित सर्जिकल विंग एवं एम.सी.एच. विंग तथा चिकित्सालय के सम्पूर्ण वार्डो/ विभागों एवं टी.बी. क्लीनिक, आयुष विंग, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, हास्टल, दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय परिसर की सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए 30 वर्षों हेतु सफाई ठेकेदार/ सफाई एजेन्सी/ संस्था से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें) अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से रु. 1,000.00 नगद जमा कर कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किया जा सकता है जो वापसी योग्य नहीं है।

निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें)	1000/- (अक्षरी एक हजार रु मात्र) जो वापसी योग्य नहीं है।
निविदा फार्म की विक्रय की तिथि एवं समय	विज्ञापन प्रकाशित तिथि 04.08.2022 से 16.09.2022 दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा फार्म जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 19.09.2022 दोपहर 02.00 बजे तक पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट से निविदा प्रपत्र स्वीकार किये जावेंगे।
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.09.2022 सायं 04.30 बजे जिला चिकित्सालय के टेली मेडिकल कक्ष में खोली जावेगी।
निविदा फार्म प्राप्त करने का निर्धारित स्थल	जिला चिकित्सालय दुर्ग कमरा नंबर 35 अथवा मुख्य पंजीयन काउंटर

जी-93367/5

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
दुर्ग (छ.ग.)

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH FOREST DEPARTMENT
Division Forest Office
Gariyaband Forest Division, Gariyaband

Request for Proposal

DFO Gariyaband (on behelf of Enviroment & Tourism Development Committee Talesar) invites technical and financial proposals from prospective bidder for **Operation &Management of Van Chetana Kendra, Jatmai** under PPP mode in accordance with the conditions and manner prescribed in the RFP document.

Pro spective bidders are advised to study the RFP document, carefully before submitting their proposals in respnse to the RFP. Submission of proposal in this RFP shall be beemed to have been done after careful study and examination of this document.

Important Dates and Information :

S.No	Information	Details
1	Date of Issue of RFP Document	05/08/2022
2	Site Visit (during office hours)	06/08/22 To 16/08/2022
3	Last date for submission of written/online queries for clarification	18/08/2022
4	Pre-Bid Meeting	22/08/2022
5	Last date of proposal submission :-	
	I. 1st Tender24/08/2022	2:00 PM
	II. 2nd Tender	07/09/2022 2:00 PM
	III. 3rd Tender	14/09/2022 2:00 PM
6	Technical Bid Opening :-	
	I. 1st Tender24/08/2022	4:00 PM
	I. 1st Tender07/09/2022	4:00 PM
	II. 2nd Tender	07/09/2022 4:00 PM
7	Financial Bid Opening :-	
	I. 1st Tender25/08/2022	5:00 PM
	II. 2nd Tender	08/09/2022 5:00 PM
	III. 3rd Tender	15/09/2022 5:00 PM

The RFP document can be obtained from the office of the Divisional forest office, Gariyaband, on payment of Rs. 1,000/- in cash or by DD or any other payment mode from 05/08/2022 on office days betweem 10.00 am to 5.00 pm.

G-93359/1

Divisional Froest Office
Gariyaband Forest Division, Gariyaband

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

छात्रा की मौत से उबला आक्रोश, युकां व एनएसयूआई ने कॉलेज का किया घेराव

■ मृतिका के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग

बालोद/नवप्रदेश। भिलाई स्थित रस्तोगी कॉलेज में नर्सिंग की छात्रा कामिनी चुरेन्द्र फू ड प्वाइजनिंग की शिकार हो गई थी। जिनकी इलाज के दौरान राजनांदगांव अस्पताल में मौत हो गई। उक्त छात्रा बालोद जिले के लोहारा ब्लॉक के जेवरतला की रहने वाली थीं। इस घटना से लोगों में आक्रोश है वह इसलिए क्योंकि कालेज प्रबंधन इस मौत के लिए नैतिक जिम्मेदारी तक नहीं ले रहा है और अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहा है। तो वही उस कॉलेज में पढ़ने वाले 40 से ज्यादा छात्राएं भी बीमार है। उन्हें घटिया खाना दिया जाता था। इस मामले ने नया मोड़ लेते हुए छात्रा बालोद जिले की थी इसलिए इस पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। गुरुवार को बालोद शहर के युवा कांग्रेस के नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष साजन पटेल के नेतृत्व में रस्तोगी कॉलेज के शाखा कॉलेज भारती कॉलेज दानी टोला का घेराव किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। गेट पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया गया और कालेज प्रबंधन से इस घटना के लिए जिम्मेदारी स्वीकारते हुए 50 लाख मुआवजा राशि मृत छात्रा के परिवार को देने की मांग की गई। तो वहीं फू ड प्वाइजनिंग की शिकार छात्राओं को भी पांच- पांच लाख देने की मांग की गई।

घटिया खाना देने का आरोप

ज्ञात हो कि 40 से ज्यादा छात्राएं हाईटेक अस्पताल भिलाई में भर्ती हैं। जिनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। दुर्ग के कलेक्टर सहित पूरा प्रशासनिक अमला और जनप्रतिनिधि भी मामले में अलर्ट हो गए हैं। तो वहीं जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो यह मौत का मामला बालोद जिले से जुड़ा होने के कारण तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अस्पताल में भर्ती छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें घटिया खाना दिया जाता था। तो वहीं जब मीडिया ने भी खाने की व्यवस्था का जायजा लिया तो छात्राओं का आरोप सही पाया गया। मृतिका कामिनी अपने पिता बसंत की तीन बेटियों में मंझली बेटी थी।

एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम

प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कालेज प्रबंधन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है यानी परिवार को 50 लाख मुआवजा नहीं दिया जाता है तो आगे और उग्र आंदोलन की बात कही गई है। अंततः अब भिलाई के रस्तोगी कालेज में जिले के ग्राम जेवरतला की रहने वाली नर्सिंग की छात्रा कामिनी चुरेन्द्र की फूड प्वाइजनिंग से हुई मौत का मामला गरमाने लगा है। कालेज प्रबंधक पर कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही। बड़ी संख्या में पहुंचे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने कॉलेज के गेट पर जमकर हंगामा किया। प्रबंधन ने पहले से ही पुलिस को सूचना दे दी थी। जहां पर पुलिस बल कॉलेज गेट पर लगी रही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। जिसमें कहा गया हैं कि मृतका के परिजनों को कॉलेज प्रबंधन 50 लाख का मुआवजा दे। वही जो छात्राएं हॉस्पिटल में एडमिट है उन्हें भी मुआवजा राशि दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगी।

31 जुलाई को हुई थी मौत : मामले में देवरी थाना की निरीक्षक वीणा यादव ने बताया कि मृतिका छात्रा कामिनी के पिता बसंत चुरेंद्र सहित अन्य लोगों से बयान लिया गया है। छात्रा के पिता का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि बेटी फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई है। उनके घर आने के बाद जानकारी हुई। 29 जुलाई को बेटी ने फोन किया था और बताया था कि उल्टी दस्त हो रही है। जिसके बाद हम उसे कॉलेज से घर ले आए थे। 30 को अचानक फिर तबीयत बिगड़ी। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में भर्ती कराए थे। जहां 31 जुलाई को दोपहर करीब 3:00 बजे उसकी मौत हो गई।

युवा कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि

मौत के उक्त मामले में पुलिस द्वारा भी जांच शुरू कर दी गई है। बुधवार को देवरी पुलिस ने भी ग्राम जेवरतला जाकर मृतक के परिजनों से बयान लिया और जानकारी स्मृति नगर थाना भिलाई को भेजी जा रही है। इधर बुधवार की शाम को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा जिला मुख्यालय बालोद के जयस्तंभ चौक में मोमबत्ती जलाकर व नारेबाजी कर छात्रा को श्रद्धांजलि दी गई। युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष साजन पटेल ने कहा कि जब कॉलेज प्रबंधन इस मौत पर पल्ला झाड़ रही है तो फिर नर्सिंग करने वाली छात्राओं से फीस क्यों लेती है। प्रबंधन का यह रवैया ठीक नहीं है। इसके विरोध में बालोद जिले में भी संचालित दानी टोला में उक्त कॉलेज की शाखा का घेराव व प्रदर्शन किया गया।

स्कूल छात्रों को दी मानव तस्करी व साइबर ठगी से बचने की जानकारी

कवर्धा/नवप्रदेश। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आस्था समिति द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन 1098 परियोजना जिला कबीरधाम ने मानव तस्करी दिवस के अवसर पर प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं दुरुपयोग के बारे में शासकीय हाई स्कूल बिरकोना एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौरी में जागरुकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें महेश निर्मलकर केंद्र समन्वयक चाइल्ड लाइन ने बताया गया कि साइबर क्राइम, मोबाइल फोन में अनजान व्यक्ति से बात ना करें और ना ही कोई अनजान एप्स को इंस्टॉल करें, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अफवाह की मैसेज को अन्य व्यक्ति को ना भेजें। चाइल्ड लाइन 24 घंटा चलने वाली फोन एवं आउटरीच सेवा है, किसी बच्चे को आश्रय की जरूरत है कोई बच्चा को पीट रहा हो, गुमशुदा, लापता, शोषित या बाल श्रम, बाल विवाह हो रहा है तो चाइल्ड लाइन 1098 में फोन करके उन बच्चों का मदद कर सकते हैं। रामलाल पटेल टीम मेम्बर के द्वारा बच्चों को किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में जानकारी दी गई। लवली दास टीम मेंबर द्वारा बच्चों के अधिकार की जानकारी दी गई। टीम मेंबर आरती यादव के द्वारा बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी बताया।

हाइवा-बाइक में टक्कर, 2 युवकों की मौके मौत, एक गंभीर

खरोरा/नवप्रदेश। ग्राम बंगोली के मेन रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार युवकों को ठोकर मार दी। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे रायपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर को रायपुर-बलौदाबाजार मुख्य मार्ग पर बंगोली के पास एक हाइवा ने बाइक को सामने तरफ से जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर इतनी जोरदार थी की बाइक सवार तीनों युवक छिटककर दूर जा गिरे। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिन्हें रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक समीपस्थ ग्राम निलजा आदिवासी मोहल्ला का बताया जा रहा है। इधर घटना की जानकारी मिलती ही खरोरा पुलिस दलबल के साथ मौके में पहुंच गई और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। ठोकर मारने के बाद हाइवा सड़क किनारे खेत में घुस गई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाइवा पर आग लगाने की भी कोशिश की। मौके में पहुंचे खरोरा पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया तब कहीं जाकर भीड़ कम हुई। इसके लिए पुलिस को अतिरिक्त बल भी बुलानी पड़ी। वहीं घटना के बाद रोड पर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई थी।

छत्तीसगढ़ के
लाडले...माटीपुत्र
छत्तीसगढ़ शासन के सम्मानीय
गृह एवं लोक निर्माण मंत्री, माननीय
ताम्रध्वज साहू जी
को जन्मदिन की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं...
happy birthday
जितेन्द्र साहू
केशव बंटी हरमुख
श्रीमती शशि सिन्हा
शालिनी रविन्द्र यादव
देवेन्द्र देशमुख
नंदकुमार सेन
डिकेन्द्र हिरवानी